



**Haryana Government Gazette**  
**EXTRAORDINARY**  
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 21-2017/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 2 फरवरी, 2017  
(13 माघ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग—II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 15/ह०अ० 16/2008/धा० 92/2017, दिनांक 2 फरवरी, 2017 – हरियाणा पुलिस दूरसंचार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2017.	279–335
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 16/ह०अ० 11/1994/धा० 2017, दिनांक 2 फरवरी, 2017— ग्राम पंचायत वजीरपुर खण्ड गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम के पंचों, सरपंच के आम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी, 2017 तक करवाए जाने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	336–337
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

गृह विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 2 फरवरी, 2017

**संख्या का० आ०-15/ह० अ० 25/2008/धा० 92 /2017.-** हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस दूरसंचार संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा पुलिस दूरसंचार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25);
  - (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
  - (ग) "पुलिस महानिदेशक" से अभिप्राय है, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा;
  - (घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति;
  - (ङ.) "प्रथम पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, पदोन्नति पाठ्यक्रम अर्थात् ऑपरेशन संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस तृतीय ग्रेड', तकनीकी संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस तकनीशियन तृतीय ग्रेड' तथा दूरसंचार संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस आपरेटर तथा तकनीशियन तृतीय ग्रेड' ;
  - (च.) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
  - (छ) "संस्था" से अभिप्राय है,-
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (ज) "पुलिस महानिरीक्षक" से अभिप्राय है, पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, हरियाणा;

- (झ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है;
- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
- (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है;
- (ञ) "द्वितीय पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, पदोन्नति पाठ्यक्रम अर्थात् ऑपरेशन संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस द्वितीय ग्रेड', तकनीकी संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस तकनीशियन द्वितीय ग्रेड' तथा दूरसंचार संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस आपरेटर तथा तकनीशियन द्वितीय ग्रेड';
- (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा पुलिस दूरसंचार संवर्ग (गुप-ग) सेवा;
- (ठ) "पुलिस अधीक्षक" से अभिप्राय है, पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार हरियाणा;
- (ड) "तृतीय पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, पदोन्नति पाठ्यक्रम अर्थात् ऑपरेशन संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस प्रथम ग्रेड', तकनीकी संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस तकनीशियन प्रथम ग्रेड' तथा दूरसंचार संवर्ग के लिए 'पुलिस वायरलैस आपरेटर तथा तकनीशियन प्रथम ग्रेड';
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

#### भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क (भाग 1 तथा 2) में दर्शाये गए पद समाविष्ट होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो;

- (क) भारत का नागरिक, या
- (ख) नेपाल की प्रजा: या
- (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) तथा (ग) से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा केवल आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, और जो उनके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

नियुक्ति प्राधिकारी।

5. सेवा में पदों पर नियुक्त परिशिष्ट ग के खाना 3 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

आयु सीमा तथा शारीरिक मानक।

6. आयु सीमा तथा शारीरिक मानक पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, में उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार होंगे।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में, किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखता है।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है अथवा विवाह करने की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, अथवा विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) परिशिष्ट क, (भाग 1) में वर्णित पदों पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— भर्ती का ढंग।

(क) निरीक्षक (ऑपरेशन) की दशा में,—

100 प्रतिशत उप-निरीक्षकों (ऑपरेशन) में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) निरीक्षक (तकनीकी) की दशा में,—

100 प्रतिशत उप-निरीक्षकों (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) निरीक्षक (चालक) की दशा में,—

100 प्रतिशत उप-निरीक्षकों (चालक) में से पदोन्नति द्वारा;

(घ) उप निरीक्षक (ऑपरेशन) की दशा में,—

100 प्रतिशत सहायक उप निरीक्षकों (ऑपरेशन) में से पदोन्नति द्वारा;

(ङ.) उप निरीक्षक (तकनीकी) की दशा में,—

100 प्रतिशत सहायक उप-निरीक्षकों (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा;

(च) उप निरीक्षक (चालक) की दशा में,—

100 प्रतिशत सहायक उप-निरीक्षकों (चालक) में से पदोन्नति द्वारा;

(छ) उप निरीक्षक (बैटरी चार्जर) की दशा में,—

100 प्रतिशत सहायक उप-निरीक्षकों (बैटरी चार्जर) में से पदोन्नति द्वारा;

(ज) उप निरीक्षक (संदेशवाहक) की दशा में,—

100 प्रतिशत सहायक उप-निरीक्षकों (संदेशवाहक) में से पदोन्नति द्वारा;

(झ) सहायक उप निरीक्षक (ऑपरेशन) की दशा में,—

100 प्रतिशत मुख्य सिपाहियों (ऑपरेशन) में से पदोन्नति द्वारा;

(ञ) सहायक उप निरीक्षक (चालक) की दशा में,—

100 प्रतिशत मुख्य सिपाहियों (चालक) में से पदोन्नति द्वारा;

(ट) सहायक उप निरीक्षक (बैटरी चार्जर) की दशा में,—

100 प्रतिशत मुख्य सिपाहियों (बैटरी चार्जर) में से पदोन्नति द्वारा;

(ठ) सहायक उप निरीक्षक (संदेशवाहक) की दशा में,—

100 प्रतिशत मुख्य सिपाहियों (संदेशवाहक) में से पदोन्नति द्वारा;

(ड) मुख्य सिपाही (ऑपरेशन) की दशा में,—

100 प्रतिशत सिपाहियों (ऑपरेशन) में से पदोन्नति द्वारा;

(ढ) मुख्य सिपाही (चालक) की दशा में,—

100 प्रतिशत सिपाहियों (चालक) में से पदोन्नति द्वारा;

(ण) मुख्य सिपाही (संदेशवाहक) की दशा में,—

100 प्रतिशत सिपाहियों (संदेशवाहक) में से पदोन्नति द्वारा;

(2) परिशिष्ट क, (भाग 2) में वर्णित पदों पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) निरीक्षक (दूरसंचार) की दशा में,—

(i) 100 प्रतिशत उप-निरीक्षकों (दूरसंचार) में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ख) उप निरीक्षक (दूरसंचार) की दशा में,—
- (i) 100 प्रतिशत सहायक उप-निरीक्षकों (दूरसंचार) में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ग) सहायक उप निरीक्षक (दूरसंचार) की दशा में,—
- (i) 100 प्रतिशत मुख्य सिपाहियों (दूरसंचार) में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (घ) मुख्य सिपाही (दूरसंचार) की दशा में,—
- (i) 100 प्रतिशत सिपाहियों (दूरसंचार) में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा
- (ङ.) सिपाही (दूरसंचार) की दशा में,—
- 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(3) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता तथा मैरिट पर की जाएंगी।

भर्ती प्रक्रिया।

**10.** दूरसंचार संवर्ग में सिपाहियों की सीधी भर्ती की दशा में, पात्रता मानदण्ड तथा प्रक्रिया ऐसी होगी जो परिशिष्ट 'ड' में विहित है।

विभागीय पदोन्नति समिति।

**11.** पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में, दो पुलिस उप अधीक्षकों सहित पदोन्नति मानदण्ड की जांच के लिए कमेटी गठित करेगा।

चयन प्रक्रिया।

**12.** सूची ख के लिए दूरसंचार संवर्ग में सिपाहियों का चयन प्रत्येक वर्ष जनवरी के मास में किया जायेगा। सूची ख में चयन के लिए प्रक्रिया, पात्रता मानदण्ड ऐसा होगा जो परिशिष्ट च में विहित हैं।

विभागीय प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम।

**13.** (1) सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए परिशिष्ट ख में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण तथा पदोन्नति पाठ्यक्रम में जाना अपेक्षित होगा तथा यदि वह विभागीय प्रशिक्षण पास करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे समय तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह विहित विभागीय प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम पास नहीं कर लेता। पदोन्नति पाठ्यक्रम की विषय वस्तु जैसे प्रथम पाठ्यक्रम, द्वितीय पाठ्यक्रम तथा तृतीय पाठ्यक्रम जो ऑपरेशन संवर्ग, तकनीकी संवर्ग तथा दूरसंचार संवर्ग को लागू है, पुलिस वायरलैस समन्वय निदेशालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विहित किया जाएगा तथा समय-समय पर परिवर्तन करने के अधधीन होगा:

परन्तु दूरसंचार संवर्ग के लिए प्रथम पाठ्यक्रम को अन्तिम परीक्षा परिशिष्ट छ में यथा विहित ऑनलाईन होगा;

(2) सीधे रूप से नियुक्त/नामांकित सभी पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा पुलिस अकादमी में छह मास के बेसिक शारीरिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। बेसिक शारीरिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, वे दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र में व्यावसायिक निपुणता में तीन मास के प्रशिक्षण के अधीन होंगे। बेसिक शारीरिक तथा व्यावसायिक निपुणता प्रशिक्षण की समय सारणी तथा विषय वस्तु पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से क्रमशः निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विहित की जाएगी। प्रशिक्षण के सफलतापूर्ण पूरा होने के बाद, सेवा के सदस्य बारह मास के प्रैक्टिकल ऑन-दी-जॉब प्रशिक्षण के अधीन होंगे।

परिवीक्षा।

**14.** (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा,—

परन्तु —

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पूर्व समकक्ष या उच्चतर पद पर किये गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; तथा

- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, तो परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह स्थाई पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, तो पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्त अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) उसकी राय में, यदि उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, संतोषजनक न रहा हो,
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में किसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:
- परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

15. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी पद पर उसके लगातार सेवा काल के अनुसार निर्धारित की जाएगी; ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित की जायेगी;

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्न अनुसार निर्धारित की जाएगी:—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे, में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था तथा यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान है, तो उसकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार तथा यदि ऐसा सेवाकाल भी समान है, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- (2) सूची ख में रखे गये सभी उम्मीदवारों को दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम पाठ्यक्रम करना होगा। आगामी पदोन्नति के लिए उनकी ज्येष्ठता प्रथम पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा की मैरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला सिपाही ज्येष्ठतम होगा तथा निम्नतम अंक प्राप्त करने वाला कनिष्ठतम होगा।
- सेवा करने का दायित्व। **16.** (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है—
- (i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, या गैर सरकारी निकाय:
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।
- वेतन, अवकाश, पेंशन तथा अन्य मामले। **17.** वेतन, अवकाश, पेंशन तथा अन्य सभी सेवा मामलों के सम्बन्ध में, जिन्हे इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये गए हो या इसके बाद अपनाये या बनाए जाएं।
- अनुशासन, शास्ति तथा अपील। **18.** सेवा के सदस्य, अनुशासन, शास्तियों तथा अपील से सम्बन्धित मामलों में, पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ द्वारा शासित होंगे:
- परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगायी जा सकता है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट है।
- टीकाकरण। **19.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे पुनः टीका लगवायेगा।
- राजनिष्ठा की शपथ। **20.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसको पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।
- ढील देने की शक्ति। **21.** जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक तथा समाचीन है, तो यह लिखित में आदेश द्वारा किसी श्रेणी या रिक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्ही उपबन्धों से छूट दे सकती है।
- विशेष उपबन्ध। **22.** इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति के आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे।
- आरक्षण। **23.** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:
- परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

24. परिशिष्ट क (भाग 1 तथा 2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक संवर्गः पृथक ज्येष्ठता तथा पदोन्नति सहित पृथक अस्तित्व में रखा जाएगा: विविधा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा के सिवाय कोई भी नियुक्ति इन नियमों के लागू होने के बाद दूरसंचार संवर्ग से अन्यथा किसी संवर्ग में किसी पद पर नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि जब कभी दूरसंचार संवर्ग से अन्यथा किसी संवर्ग में कोई पद नार्मल आट्रिशन के कारण रिक्त रहता है तथा उस संवर्ग में कोई भी उपयुक्त सदस्य उस समय या भविष्य में किसी अन्य समय पर उसे भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो कथित पद दूरसंचार संवर्ग में विलीन होगा:

परन्तु यह और कि इस रीति में दूरसंचार संवर्ग में संवर्ग के सभी पदों को विलीन करने के बाद दूरसंचार संवर्ग हरियाणा एक ही संवर्ग बन जाएगा। तदानुसार सभी पदनाम अर्थात् शब्द "(दूरसंचार)" में बदले जाएंगे:

परन्तु यह और कि इस नियम में परिशिष्ट क (भाग 1) में यथा विहित सभी संवर्गों के सभी सिपाहीयों, मुख्य सिपाहियों, सहायक उप-निरीक्षकों तथा उप-निरीक्षकों को इन नियमों के लागू होने के तुरन्त बाद उनके अपने पदों में दूरसंचार संवर्ग में विलीन होने के लिए चुनने हेतु एक बार एक ही अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि,—

- (i) यदि किसी संवर्ग का कोई सदस्य अपने मूल संवर्ग में तकनीकी वेतनमान का लाभ ले रहा है, तो तकनीकी वेतनमान उस तिथि से वापस होगा जिस तिथि से वह दूरसंचार संवर्ग में विलीन हो जाता है। तथापि मूल संवर्ग में लिया जा रहा अंतिम वेतन संरक्षित किया जायेगा;
- (ii) दूरसंचार संवर्ग में एक बार विलीन होने पर दूरसंचार संवर्ग के सिवाय अपने मूल का किसी अन्य संवर्ग की ज्येष्ठता या वेतन लाभ का दावा नहीं करेगा तथा अपने मूल संवर्ग में वापस भी नहीं जाएगा;
- (iii) सिपाही की दशा में, जिसने दूरसंचार संवर्ग चुना है, ज्येष्ठता नियम 15 में विनिर्दिष्ट उपलब्ध के अनुसार नियत की जाएगी तथा ऐसे सिपाहियों को इस ज्येष्ठता के आधार पर प्रथम पदोन्नति पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा तथा ख-1 परीक्षा उनकी ज्येष्ठता के नियतन के लिए आयोजित नहीं की जाएगी किन्तु उच्चतर पद पर उनकी पदोन्नति ऐसी शर्त के अधधीन होगी कि वे उस नियम में पदोन्नति हेतु नियमों के परिशिष्ट ख भाग-2 खाना 4 में यथा विनिर्दिष्ट सभी शर्तें अर्हक करते हैं। उनके मूल संवर्ग को सेवा अनुभव की उनकी पदोन्नति के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।
- (iv) विभिन्न संवर्गों में दूरसंचार संवर्ग में विलीन मुख्य सिपाही, सहायक उप-निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक की दशा में, जिसने दूरसंचार संवर्ग चुना है, उसकी ज्येष्ठता नियम 15 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- (v) वे सभी कर्मचारियों जिनको दूरसंचार संवर्ग में मुख्य सिपाही, सहायक उप-निरीक्षक तथा उप-निरीक्षक के रूप में विलीन किया गया है, को दूरसंचार संवर्ग में अपने संबंधित पद में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए प्रथम पाठ्यक्रम, द्वितीय पाठ्यक्रम तथा तृतीय पाठ्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, तीन प्रयासों में पास करने के लिए अवसर दिया जाएगा। कोई भी किसी प्रकार के बकायों का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा। मुख्य सिपाही, सहायक उप निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक जो प्रथम पाठ्यक्रम, द्वितीय पाठ्यक्रम तथा तृतीय पाठ्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, तीन प्रयासों में असफल रहते हैं, जब कभी इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से अवसर दिया गया था, आगे पदोन्नती के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि कोई ज्येष्ठ कर्मचारी किसी विभागीय पदोन्नती पाठ्यक्रम में असफल रहता है और इस दौरान कनिष्ठ कर्मचारी विभागीय पदोन्नती पाठ्यक्रम पास कर लेता है और पदोन्नत हो जाता है, तो ज्येष्ठ कर्मचारी जो उसके कनिष्ठ पदोन्नत से पूर्व उक्त पाठ्यक्रम पास नहीं कर सका, तो इस प्रकार पदोन्नत कनिष्ठ कर्मचारी उस ज्येष्ठ कर्मचारी से ज्येष्ठ हो जाएगा जो उस उक्त पाठ्यक्रम में असफल रह जाता है।
- (vi) वे सभी कर्मचारी जो दूरसंचार संवर्ग में मुख्य सिपाही, सहायक उप-निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक के रूप में विलीन किए गए थे और प्रथम पाठ्यक्रम या द्वितीय पाठ्यक्रम या तृतीय पाठ्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, पहले ही पास कर लिए हैं, माने जाएंगे कि मानों उन्होंने पुलिस वायरलैस ऑपरेटर तकनीकी पाठ्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, पास कर लिए हैं;



- (vii) दूरसंचार संवर्ग में विलीन करने की कार्यवाही इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह मास में पूरी की जाएगी,—
- (क) सभी संवर्गों के कर्मचारियों का विकल्प इन नियमों के प्रकाशित होने के एक मास के भीतर मांगा जाएगा;
- (ख) सभी इच्छुक कर्मचारियों के विकल्प उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट पत्र के जारी होने के एक मास के भीतर पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये;
- (ग) विलिन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आगे की सभी कोडल औपचरकितायें आगामी चार मास में पूरी की जाएगी;
- (घ) यदि इच्छुक कर्मचारियों की संख्या दूरसंचार संवर्ग में विद्यमान रिक्त पदों से ज्यादा हो जाती है, तो सम्बन्धित पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। उक्त परीक्षा का मानक उस पद के पुलिस वायरलैस पदोन्नत पाठ्यक्रम जो सम्बन्धित पद के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, मानक के अनुरूप होगा ;
- (viii) सिपाही चालक के 38 पदों को निरीक्षक 01, उप निरीक्षक 05, सहायक उप-निरीक्षक व 11 तथा मुख्य सिपाही 21 पदों के रूप में अपग्रेडिड किया गया समझा जाएगा। जब कभी चालक संवर्ग में कोई पद नार्मल अट्रिशन के कारण रिक्त होता है तथा चालक संवर्ग में कोई भी उपयुक्त सदस्य उस समय पर या भविष्य में किसी अन्य समय पर उसे भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उक्त चालक संवर्ग का अपग्रेडिड पद सिपाही के पदों में डी-ग्रेड हो जायेगा तथा दूरसंचार संवर्ग में विलीन हो जायेगा;
- (ix) मुख्य सिपाही बैटरी चार्जर के तीन पदों को उपनिरीक्षक 01, सहायक उपनिरीक्षक 02 पदों के रूप में अपग्रेडिड किया गया समझा जाएगा। जब कभी बैटरी चार्जर संवर्ग में कोई पद नार्मल अट्रिशन के कारण रिक्त हो जाता है तथा बैटरी चार्जर संवर्ग में कोई भी उपयुक्त सदस्य उस समय पर या भविष्य में किसी अन्य समय पर उसे भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो बैटरी चार्जर संवर्ग का कथित अपग्रेडिड पद मुख्य सिपाही के पद में डी ग्रेड होगा तथा दूरसंचार संवर्ग में विलीन होगा;
- (x) सिपाही सन्देशवाहक के छह पदों को उप निरीक्षक 01, सहायक उप-निरीक्षक 02 तथा मुख्य सिपाही के 03 पदों के रूप में अपग्रेडिड किया गया समझा जाएगा। जब कभी सन्देशवाहक संवर्ग में कोई पद नार्मल अट्रिशन के कारण रिक्त हो जाता है तथा सन्देशवाहक संवर्ग में कोई भी उपयुक्त सदस्य उस समय पर या भविष्य में किसी अन्य समय पर उसे भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सन्देशवाहक संवर्ग के कथित अपग्रेडिड पद सिपाही के पद में डी-ग्रेड हो जाएगा तथा दूरसंचार संवर्ग में विलीन हो जाएगा।

**परिशिष्ट क (भाग-1)**  
(देखिये नियम-3)

क्रम संख्या	पदनाम	स्थाई	कुल	वेतनमान जमा विशेष वेतन (भारतीय मुद्रा में)
1	2	3	4	5
1.	निरीक्षक (ऑपरेशन)	22	42	44900 से 142400 जमा 160
2.	निरीक्षक (तकनीकी)	19		44900 से 142400 जमा 160
3.	निरीक्षक (चालक)	01		44900 से 142400 जमा 40
4.	उप-निरीक्षक (ऑपरेशन)	97	126	35400 से 112400 जमा 140
5.	उप-निरीक्षक (तकनीकी)	22		35400 से 112400 जमा 140
6.	उप-निरीक्षक (चालक)	05		35400 से 112400 जमा 40
7.	उप-निरीक्षक (बैटरी चार्जर)	01		35400 से 112400 जमा 140
8.	उप-निरीक्षक (संदेशवाहक)	01		35400 से 112400 जमा शून्य
9.	सहायक उप-निरीक्षक (ऑपरेशन)	234	259	29200 से 92300 जमा 120
10.	सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी)	09		29200 से 92300 जमा 120
11.	सहायक उप-निरीक्षक (चालक)	12		29200 से 92300 जमा 40
12.	सहायक उप-निरीक्षक (बैटरी चार्जर)	02		29200 से 92300 जमा 60
13.	सहायक उप-निरीक्षक (संदेशवाहक)	02		29200-92300 जमा शून्य
14.	मुख्य सिपाही (ऑपरेशन)	525	559	25500 से 81100 जमा 80
15.	मुख्य सिपाही (चालक)	27		25500 से 81100 जमा 40
16.	मुख्य सिपाही (बैटरी चार्जर)	04		25500 से 81100 जमा 60
17.	मुख्य सिपाही (संदेशवाहक)	03		25500 से 81100 जमा शून्य
18.	सिपाही (ऑपरेशन)	129	174	25500 से 81100 जमा 60
19.	सिपाही (चालक)	40		21700 से 69100 जमा 40
20.	सिपाही (संदेशवाहक)	05		21700 से 69100 जमा शून्य
	<b>कुल</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	

## परिशिष्ट-क (भाग-2)

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	स्थाई	कुल	वेतनमान जमा विशेष वेतन (भारतीय मुद्रा में)
1	2	3	4	5
1.	निरीक्षक (दूरसंचार)	00	00	44900 से 142400 जमा 160
2.	उप-निरीक्षक (दूरसंचार)	01	01	35400 से 112400 जमा 140
3.	सहायक उप-निरीक्षक (दूरसंचार)	26	26	29200 से 92300 जमा 120
4.	मुख्य सिपाही (दूरसंचार)	20	20	25500 से 81100 जमा 80
5.	सिपाही (दूरसंचार)	675	675	21700 से 69100 जमा 60
	<b>कुल</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	

## परिशिष्ट-ख (भाग-1)

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	निरीक्षक (ऑपरेशन)		(i) उप-निरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव उप-निरीक्षक (ऑपरेशन) के रूप में होगा ; (ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा (iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
2.	निरीक्षक (तकनीकी)		(i) उप-निरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव उप-निरीक्षक (तकनीकी) के रूप में होगा ; (ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा (iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
3.	निरीक्षक (चालक)		(i) उप-निरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव उप-निरीक्षक (चालक) के रूप में होगा; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
4.	उप-निरीक्षक (ऑपरेशन)		(i) सहायक उप-निरीक्षक (ऑपरेशन) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा; (ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा (iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
5.	उप-निरीक्षक (तकनीकी)		(i) सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा; (ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा (iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
6.	उप-निरीक्षक (चालक)		(i) सहायक उप-निरीक्षक (चालक) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
7.	उप-निरीक्षक (बैटरी चार्जर)		(i) सहायक उप-निरीक्षक (बैटरी चार्जर) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
8.	उप-निरीक्षक (संदेशवाहक)		(i) सहायक उप-निरीक्षक (संदेशवाहक) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
9.	सहायक उप-निरीक्षक (ऑपरेशन)		(i) मुख्य सिपाहियों (ऑपरेशन) में से पदोन्नति द्वारा ; (ii) द्वितीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा (iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
10.	सहायक उप-निरीक्षक (चालक)		(i) मुख्य सिपाहियों (चालक) में से पदोन्नति द्वारा ; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
11.	सहायक उप-निरीक्षक (बैटरी चार्जर)		(i) मुख्य सिपाहियों (बैटरी चार्जर) में से पदोन्नति द्वारा ; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
12.	सहायक उप-निरीक्षक (संदेशवाहक)		(i) मुख्य सिपाहियों (संदेशवाहक) में से पदोन्नति द्वारा ; तथा (ii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
13.	मुख्य सिपाही (ऑपरेशन)		(i) सिपाही (ऑपरेशन) के रूप में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा; (ii) प्रथम पाठ्यक्रम पास होना चाहिये; तथा (iii) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
14.	मुख्य सिपाही (चालक)		(i) सिपाही (चालक) के रूप में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा; (ii) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
15.	मुख्य सिपाही (संदेशवाहक)		(i) सिपाही (संदेशवाहक) के रूप में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा; तथा (ii) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

## परिशिष्ट ख (भाग-2)

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	निरीक्षक (दूरसंचार)		<p><b>पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>(i) उप-निरीक्षक (दूरसंचार) तथा सहायक उप-निरीक्षक (दूरसंचार) के रूप में कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव उप-निरीक्षक (दूरसंचार) के रूप में होगा ;</p> <p>(ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा</p> <p>(iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा:</b></p> <p>(i) राज्य/केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पोलिटैक्नीक संस्था से 60 प्रतिशत अंकों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग / आई0टी0 / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिये;</p> <p>(ii) मुख्य लोक क्षेत्र दूरसंचार संगठन में निरीक्षक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये;</p> <p>(iv) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत।</p>
2.	उप-निरीक्षक (दूरसंचार)		<p><b>पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>(i) सहायक उप-निरीक्षक (दूरसंचार) के पद पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा;</p> <p>(ii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा</p> <p>(iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा:</b></p> <p>(i) राज्य/केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पोलिटैक्नीक संस्था से 60 प्रतिशत अंकों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग / आई0टी0 / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिये;</p> <p>(ii) मुख्य लोक क्षेत्र दूरसंचार संगठन में उप-निरीक्षक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) तृतीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ;</p> <p>(iv) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत।</p>
3.	सहायक उप-निरीक्षक (दूरसंचार)		<p><b>पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>(i) मुख्य सिपाहियों (दूरसंचार) में से पदोन्नति द्वारा ;</p> <p>(ii) द्वितीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ; तथा</p> <p>(iii) पिछले दस वर्ष का सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।</p>

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
			<p><b>प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा:</b></p> <p>(i) राज्य/केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पोलिटैक्नीक संस्था से 60 प्रतिशत अंकों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग / आई0टी0 / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिये;</p> <p>(ii) मुख्य लोक क्षेत्र दूरसंचार संगठन में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) द्वितीय पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ;</p> <p>(iv) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत ।</p>
4.	मुख्य सिपाही (दूरसंचार)		<p><b>पदोन्नति द्वारा:</b></p> <p>(i) सिपाही (दूरसंचार) के रूप में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा;</p> <p>(ii) परिशिष्ट 'छ' में यथाविनिर्दिष्ट प्रथम पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा की मैरिट के आधार पर ; तथा</p> <p>(iii) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा:</b></p> <p>(i) राज्य/केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पोलिटैक्नीक संस्था से 60 प्रतिशत अंकों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग / आई0टी0 / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पास होना चाहिये;</p> <p>(ii) मुख्य लोक क्षेत्र दूरसंचार संगठन में मुख्य सिपाही के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) प्रथम पाठ्यक्रम पास होना चाहिये ;</p> <p>(iv) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत ।</p>
5.	सिपाही (दूरसंचार)	<p>(i) राज्य/केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पोलिटैक्नीक संस्था से 60 प्रतिशत अंकों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / आई0टी0 / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर साईंस तथा इंजीनियरिंग / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग तथा कन्ट्रोल में तीन वर्षीय डिप्लोमा ; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत ।</p>	

**परिशिष्ट ग**  
(देखिये नियम 18)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7
1.	निरीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	पदच्युति  सेवा से हटाया जाना  अनिवार्य सेवानिवृत्ति  संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना  संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना  सरकार के आदेशों की लापरवाही या उल्लंघन द्वारा की गई किसी आर्थिक हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन की वसूली।  परिनिन्दा  चेतावनी	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक	सरकार
2.	उप निरीक्षक	पुलिस अधीक्षक	पदच्युति  सेवा से हटाया जाना  अनिवार्य सेवानिवृत्ति  संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना	पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक महा	पुलिस महानिदेशक



			<p>संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>सरकार के आदेशों की लापरवाही या उल्लंघन द्वारा की गई किसी आर्थिक हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन की वसूली।</p> <p>परिनिन्दा</p> <p>चेतावनी</p>			
3	सहायक उप-निरीक्षक,	पुलिस अधीक्षक	<p>पदच्युति</p> <p>सेवा से हटाया जाना</p> <p>अनिवार्य सेवानिवृत्ति</p> <p>संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>सरकार के आदेशों की लापरवाही या उल्लंघन द्वारा की गई किसी आर्थिक हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन की वसूली।</p> <p>परिनिन्दा</p> <p>चेतावनी</p>	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक

4	मुख्य सिपाही	पुलिस अधीक्षक	<p>पदच्युति</p> <p>सेवा से हटाया जाना</p> <p>अनिवार्य सेवानिवृत्ति</p> <p>संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>सरकार के आदेशों की लापरवाही या उल्लंघन द्वारा की गई किसी आर्थिक हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन की वसूली।</p> <p>परिनिन्दा</p> <p>चेतावनी</p>	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक
5.	सिपाही	पुलिस अधीक्षक	<p>पदच्युति</p> <p>सेवा से हटाया जाना</p> <p>अनिवार्य सेवानिवृत्ति</p> <p>संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना</p> <p>संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना</p>	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक

			सरकार के आदेशों की लापरवाही या उल्लंघन द्वारा की गई किसी आर्थिक हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन की वसूली।  परिनिन्दा  चेतावनी			
			15 दिन से अधिक अनिवार्य सामुदायिक सेवा या दण्ड ड्रिल	सहायक/ पुलिस उप अधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त		
			छह दिन से अधिक अनिवार्य सामुदायिक सेवा या दण्ड ड्रिल	निरीक्षक		
			तीन दिन से अधिक अनिवार्य सामुदायिक सेवा या दण्ड ड्रिल	उप-निरीक्षक		

**परिशिष्ट घ**  
(देखिये नियम 18)

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	निरीक्षक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति को समाप्ति	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक	सरकार
2.	उप निरीक्षक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति को समाप्ति	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक
3.	सहायक उप-निरीक्षक,				
4.	मुख्य सिपाही				
5.	सिपाही				

**परिशिष्ट ड.**

(देखिए नियम 10)

1. सिपाही के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम विहित शारीरिक मानक जो निम्नानुसार होगा:-

उम्मीदवार	लम्बाई	छाती
पुरुष	172 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग	83 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) 87 सेंटीमीटर (फुलाकर)
	169 सेंटीमीटर सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गों हेतु	81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) 85 सेंटीमीटर (फुलाकर)
महिला	160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग	लागू नहीं
	157 सेंटीमीटर सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गों हेतु	

(i) पुलिस महानिदेशक द्वारा अभिलिखित कारणों के बाद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों में उचित छूट प्रदान की जा सकती है ।

(ii) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा यदि, वह वर्णान्ध है या स्पॉट पैरों वाला है अथवा घुमावदार घुटनों वाला है ।

2. सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया :-

(i) **रिक्तियों की प्रतिशतता:-** सिपाही के रैंक में सभी रिक्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से तीन प्रतिशत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरी जाएंगी:-

(क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या अधिक तकनीकी विशेषज्ञों जैसे कि सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (पुलिस उप अधीक्षक, की पदवी से नीचे के न हों), मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों, विषय विशेषज्ञों इत्यादि को समय-समय पर सहायता के लिए सहयोजित कर सकता है। ये विशेषज्ञ अपने-अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठ व्यक्ति होंगे ।

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के प्रबन्धन के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्रक्रिया करने, पूरी चयन प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार की उन्नति का रिकार्ड रखना तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि भी शामिल है ।

(ii) **मांग:-** जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या हैं, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजेगा ।(iii) **सार्वजनिक अधिसूचना :-** पुलिस महानिदेशक से मांग की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य में कम-से-कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी में होगा, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रिक्तियां अधिसूचित करेगा । विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि दी जाएंगी । अन्य ब्योरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाईट पर डाले जाएंगे ।(iv) **आवेदन:-**

(क) आवेदन विहित फीस के साथ ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे । उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी । एक ही उम्मीदवार से प्राप्त किये गए एक से अधिक आवेदनों को चिन्हित किया जाएगा और विहित अवधि के भीतर प्राप्त किया गया अन्तिम आवेदन ग्रहण किया जाएगा ।

(ख) पात्र उम्मीदवारों को रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाईट पर डाल दिए जाएंगे । एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बार-कोडिड प्रवेश पत्र को जनरेट करने के योग्य हो जाएगा ।

- (v) **शारीरिक माप परीक्षा (पी० एम० टी०) :-** शारीरिक माप परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल माप यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक ऐसी रीति में किया जाएगा कि उम्मीदवार डिजिटल डिस्प्ले मानीटर पर अपने माप को पढ़ने में सक्षम हों। शारीरिक माप परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उसे अपनी कार्यालय वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित करेगा।
- (vi) **ट्रेड टैस्ट (टी० टी०) :-** सभी उम्मीदवारों, जो 'शारीरिक माप परीक्षा' (पी० एम० टी०) अर्हक करते हैं, को निम्न अनुसार ट्रेड टैस्ट परीक्षा देनी होगी;

**(क) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी):**

उम्मीदवार या तो हिन्दी या अंग्रेजी में उक्त दो परीक्षाओं में से एक परीक्षा दे सकता है।

ब्यौरे	अंग्रेजी	हिन्दी
30 शब्द प्रति मिनट या अधिक	अर्हक	.....
25 शब्द प्रति मिनट या अधिक	.....	अर्हक

अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट से कम की टंकण गति वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

**(ख) कम्प्यूटर संचालन प्रणाली का ज्ञान :-**

ब्यौरे
किसी एक संचालन प्रणाली में संतोषजनक ज्ञान
किसी एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का संतोषजनक ज्ञान
किसी एक डाटा बेस प्रबन्धन प्रणाली का संतोषजनक ज्ञान

- (vii) **ज्ञान परीक्षा (के० टी०) :-** ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :-

- (क) सभी वे उम्मीदवारों, जो ट्रेड टैस्ट (टी० टी०) परीक्षा अर्हक कर लेते हैं, को वस्तुनिष्ठ, बहुपसंद प्रश्नों की समाविष्ट करते हुए नकारात्मक मूल्यांकन के प्रावधान सहित 60 अंकों की ज्ञान परीक्षा देनी होगी।
- (ख) ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 बहुपसंद के प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0.60 अंक का होगा और अवधि नब्बे मिनट की होगी। यह सभी पात्र उम्मीदवारों हेतु एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम, जहां उम्मीदवारों का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान परीक्षित किया जाना है को छोड़कर, हिन्दी में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.15 अंक की कटौती की जाएगी।
- (ग) परीक्षा पत्र सामान्य अध्ययन, अभिरूचि, सम्बन्धित क्षेत्र/ट्रेड इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर, तीन वर्षिय का बहुशिल्प विज्ञान उपाधि-पत्र परीक्षा पास करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा।
- (घ) प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा अत्यंत गोपनीयता के साथ मुद्रित करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र की समरूप सेट की एक से अधिक भिन्न-भिन्न श्रृंखला होंगी और नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास प्रश्न पेपरों की समरूप श्रृंखला नहीं होगी। प्रकाशिय चिह्न अभिज्ञान, स्केनिंग हेतु उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। दोहरी उत्तर पुस्तिका हेतु कार्बनहीन पेपर उपयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद दोहरी प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सीलबन्द प्रश्न पेपरों तथा प्रकाशिय चिह्न अभिज्ञान सीटों की वितरण प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णित की जाएगी। जहां तक सम्भव हो सके ज्ञान परीक्षा प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी। प्रक्रिया ऐसी रीति में डिजाइन की जाएगी ताकि मूल्यांकन अमले से उम्मीदवारों की पहचान छिपाई जा सके। प्रतिरूपण को रोकने के लिए, उम्मीदवारों के प्रकाशिय चिह्न अभिज्ञान सीट पर उसके अंगूठे का भी चिह्न अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (ङ.) ज्ञान परीक्षा की समाप्ति पर शीघ्र अति शीघ्र, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संग्रहण की गई उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाएगा। ये लिफाफे बक्सों में रखे जाएंगे तथा दौबारा सीलबन्द किए जाएंगे और मूल्यांकन केन्द्र (केन्द्रों) पर पहुंचाए जाएंगे।
- (च) उत्तर कुंजी, परीक्षा के बाद शीघ्र ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।

- (छ) मूल्यांकन केन्द्र पर, उत्तर पुस्तिकाओं वाले बक्से केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नाम निर्देशित कमेटी द्वारा खोले जाएंगे। प्रकाशिय चिह्न अभिज्ञान उत्तर पुस्तिकाएं स्केन की जाएंगी और परीक्षा परिणाम डाटा बेस में सुरक्षित रखा जाएगा।
- (viii) **दस्तावेजों की जांच पड़ताल :-**
- (क) रिक्तियों की तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को प्रवर्गवार अभिनिश्चित किया जाएगा। उक्त अंक से पांच अंक कम या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए बुलाया जाएगा। सभी अन्य उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा।
- (ख) आरक्षण लाभ या छूट के लिए तथा/या अतिरिक्त अंकों के लिए दावे, यदि कोई हो, केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे जो ट्रेड टैस्ट (टी० टी०) और 'साक्षात्कार एवम् व्यक्तित्व परीक्षा' से पूर्व उनके दावों के समर्थन में अपेक्षित वैध मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे; असफल रहने पर, वे सामान्य प्रवर्ग में विचारे जाएंगे बशर्ते वे अन्यथा पात्र हो। इस संबंध में सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (ix) **साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा (आई०पी०टी०) :-**
- (क) उम्मीदवारों, जो शारीरिक माप परीक्षा (पी० एम० टी०) तथा ट्रेड टैस्ट (टी० टी०) अर्हक करता है, को प्रत्येक प्रवर्ग में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिकतम दो गुणा तक ज्ञान परीक्षा (के० टी०) में प्राप्त उनके अंकों के आधार पर 'साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा' के लिए बुलाया जाएगा।
- (ख) साक्षात्कार परीक्षा कुल दस अंकों की होगी। आगे साक्षात्कार परीक्षा के लिए दस अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :-
- (i) शिक्षा (अधिकतम 02 अंक):- उच्चतर शिक्षा अर्थात् स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार को एक अंक जबकि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार को 02 अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (ii) राष्ट्रीय कैंडेट कौर प्रमाण-पत्र (अधिकतम 03 अंक):- ए, बी या सी स्तर के उच्चतर राष्ट्रीय कैंडेट कौर प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (iii) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा (आई०पी०टी०) (अधिकतम 05 अंक)।
- (x) **परीक्षा परिणाम :-**
- (क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पृथक रूप से प्रत्येक वर्ग के लिए विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा (के०टी० + आई०पी०टी०) में प्राप्त कुलयोग अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्ध किये जाएंगे।
- (ख) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के कुलयोग अंक समान हैं, तो योग्यता क्रम, ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) जहां, ज्ञान परीक्षा में भी समान अंकों के साथ-साथ समान कुलयोग अंक रखने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की योग्यता क्रम उम्मीदवार की आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा अर्थात् आयु में छोटे से आयु में बड़े को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (घ) आगे जहां ज्ञान परीक्षा में भी समान अंकों के साथ-साथ समान कुलयोग अंक रखने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यता क्रम उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा।
- (ङ) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में मांग की गई रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिश की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा पुलिस की कार्यालय वेबसाइटों पर भी डाली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।
- (च) नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा उपयुक्तता और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन सुनिश्चित करेगा। विज्ञापित रिक्तियां, यदि कोई हों, चिकित्सा आधारों या चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन या अन्यथा से उम्मीदवारों की अस्वीकृति के कारण भरी जानी शेष रह जाती हैं, तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी।
- (xi) **विशेष भर्ती :-**
- भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया, हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन सिपाहियों के रूप में मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति के रूप में होगी।

### 3. चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन:-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किये गये उम्मीदवारों के सत्यापन प्ररूपों को पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्य में यथा लागू प्ररूप संख्या 12.18 और विषय पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रति भेजते हुए जिला पुलिस और अपराध अन्वेषण विभाग को भेजेगा ।
- (2) उम्मीदवार को अपने विरुद्ध, ऐसे मामले की वर्तमान स्थिति सहित, किसी विधि के अधीन अपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपराधिक शिकायत, मामले के अन्तिम परिणाम पर विचार किए बिना आवेदन प्ररूप और सत्यापन एवं अनुप्रमाणित प्ररूप में, मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करेगा। ऐसी सूचना के प्रकट न करने पर, केवल इस आधार पर, उम्मीदवारी को पूर्ण रूप से अयोग्य समझा जाएगा :  
परन्तु जहां कोई उम्मीदवार, जो किशोर है, पूर्वतर विधि विरुद्ध और किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की गई थी या तो आवेदन प्ररूप या चरित्र एवं अनुप्रमाणित प्ररूप में इस तथ्य को प्रकट करने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- (3) जहां नियुक्ति हेतु सिफारिश किये गये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी के ध्यान में आता है कि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाहियां प्रगति पर हैं तथा मामले की स्थिति की रिपोर्ट की गई है कि या तो अन्वेषणाधीन है या चुनौती दी गई है या रद्द की गई है या अनुमार्गणित है या वापस ली गई है या विचाराधीन है अथवा या तो दोष सिद्ध हो गया है या विमुक्त हो गया है या उम्मीदवार द्वारा न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की गई है; सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध अपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं तथा उनसे सम्बन्धित मामले में इसमें, इसके बाद यथा कथित किया गया है तो रिपोर्टाधीन उम्मीदवारों के मामलों में नीचे दिये गये अनुसार कार्यवाही करेगा :-  
(क) जहां कोई उम्मीदवार किसी नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया या तीन वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय पाया जाता है, तो नियुक्ति हेतु विचारा नहीं जाएगा ;  
(ख) जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध नैतिक अधमता वाले अपराध (अपराधों) हेतु अभियोग लगाए गये हैं जो तीन वर्ष या अधिक कारावास से दण्डनीय हैं, तो उनकी नियुक्ति हेतु भी विचार नहीं जाएगा ;  
(ग) जहां, उम्मीदवार उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन यथा वर्णित अपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करता है और जहां स्थानीय पुलिस द्वारा उम्मीदवार के पूर्ववृत्त के सत्यापन के समय पर किसी मामले की स्थिति पाई जाती है कि किसी विधि के अधिन किसी अपराध के लिए, या तो राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है या रद्द किया गया है या अनट्रेस रिपोर्ट भेजी गई है या विमुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का हरियाणा पुलिस में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा ;  
(घ) जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध किसी मामले में सक्षम विधि न्यायालय में अन्वेषण अभिकरण द्वारा 'रद्दकरण रिपोर्ट' या 'अनट्रेस रिपोर्ट' प्रस्तुत की गई हैं, तो नियुक्ति केवल तभी ऑफर की जाएगी यदि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे रद्दकरण या अनट्रेस रिपोर्ट को मंजूर या स्वीकार कर लिया गया है;  
(ङ.) जहां उम्मीदवार, राज्य की प्रभुसत्ता या राष्ट्रीय अखंडता से सम्बन्धित अपराध में अर्थात् राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गुप्तचर कार्य/राज्य के विरुद्ध युद्ध का संचालन/आतंकवादी गतिविधि/ साम्प्रदायिक शान्तिभंग/हथियार, गोला-बारूद या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ या नकली करेंसी इत्यादि की तस्करी करने, इसके अतिरिक्त जघन्य अपराध जैसे (नर) हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, फिरोती हेतु अपहरण, ऐसिड हमला, मानव तस्करी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 इत्यादि, तकनीकी आधारों पर अर्थात् जहां न्यायालय की राय में नायक/महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी या तो मार दिए गए हैं या मर चुके हैं या अननुमार्गणित हो गए हैं या भयभीत कर दिए गए हैं या राजी कर लिए हैं, को विमुक्त कर दिया है और उम्मीदवार की हत्या कर दी गई है या मृत्यु हो गई है या अननुमार्गणित हो गया है या भयभीत कर दिए गए हैं या राजी कर लिए गए हैं और उम्मीदवार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण विमुक्त हो गया है, ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु विचारा नहीं जाएगा।
- (4) यदि यह कभी उद्घटित होता है कि उम्मीदवार द्वारा या तो तथ्यों के छिपाव द्वारा या असत्य या गलत सूचना प्रस्तुत करते हुए या नकली या जाली दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए वह नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, उम्मीदवार नियमित अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना सेवा नियुक्ति की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा से उन्मुक्त कर दिया जाएगा । संक्षेप में, उसे सेवा के लिए अपात्र समझा जाएगा तथा उसे भुगतान किया गया वेतन वूसल किये जाने का भी आदेश किया जाएगा।



## परिशिष्ट 'च'

(देखिए नियम 12)

## 1. प्रथम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये सिपाहियों का चयन—

(1) सूची ख, पंजाब पुलिस नियम (हरियाणा में यथा लागू) के प्ररूप 13.7 के अनुसार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में संभाली जाएगी। इसमें प्रथम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित सभी सिपाहियों के नाम शामिल होंगे। सूची ख में चयन, दूरसंचार संवर्ग से प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा वर्ष के लिए सामान्य तथा दूरसंचार संवर्ग में विभिन्न आरक्षण प्रवर्गों तथा एक वर्ष के भीतर सुजित किए जाने के लिए सम्भावित रिक्तियों के लिए उपलब्ध मुख्य सिपाहियों की रिक्तियों की संख्या तक सीमित होगी। वर्ष में प्रथम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल रिक्ति निम्न अनुसार भरी जाएगी:—

(क) 62 प्रतिशत पद उम्मीदवार के सेवा रिकार्ड के कुलयोग अंकों, प्रथम पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा (एफ० सी० ई० टी०) तथा ट्रेड टेस्ट (टी० टी०) नामक प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भरे जाएंगे;

(ख) 35 प्रतिशत वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर ;

(ग) नौकरी में संगत उत्कृष्ट कार्य/अखिल भारतीय पुलिस खेलों तथा ड्यूटि मीट/ राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण या रजत मैडल प्राप्त करने या कार्यालय ड्यूटि के कार्य के दौरान बहादुरी का अपवादिक प्रदर्शन के आधार पर 3 प्रतिशत। बशर्ते

यदि इस चयन प्रवर्ग में कोई भी उपयुक्त सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रवर्ग की रिक्तियां उपरोक्त प्रवर्ग (क) अर्थात् वरिष्ठता एवं मैरिट प्रवर्ग में विलय हो जाएगी;

परन्तु सिपाही ऐसी अवधि के दौरान जब उसने बड़ा दण्ड भुगता है, तो वह पदोन्नति सूची ख में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) (क) प्रथम पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा (एफ०सी०ई०टी०) ऑनलाईन होगी। वस्तुनिष्ठ किस्म की परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी और इसमें गलत उत्तर की मार्किंग के लिए 0.25 अंक की दर से नकारात्मक मार्किंग के प्रावधान सहित 140 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा। एफ०सी०ई०टी० ऑनलाईन में उपस्थित होने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अपनी परीक्षा अंतिम रूप में प्रस्तुत करने हेतु तत्काल स्क्रीन पर अपनी परीक्षा अंको को देखने में योग्य होगा। एफ०सी०ई०टी० के लिए पाठ्यक्रम सिपाही के लिए "व्यावसायिक निपुणता प्रशिक्षण" के लिए विहित के समरूप होगा। उम्मीदवार को एफ०सी०ई०टी० में अर्हता प्राप्त करने के लिये कम से कम 50 प्रतिशत अंक (स्कोर) लेने होंगे। केवल उन्ही सिपाहियों, जो अर्हता प्राप्त करेंगे को उन्हें ही ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने तथा इस प्रवर्ग में अन्तिम चयन के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

(ख) ट्रेड टैस्ट :

नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कम्प्यूटर टंकण और कम्प्यूटर संचालन प्रणाली में ट्रेड टैस्ट प्रशासित किया जाएगा;

## कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी):

उम्मीदवार या तो हिन्दी या अंग्रेजी में उक्त दो परीक्षाओं में से एक परीक्षा दे सकता है।

ब्यौरे	अंग्रेजी	हिन्दी
30 शब्द प्रति मिनट या अधिक	अर्हक	.....
25 शब्द प्रति मिनट या अधिक	.....	अर्हक

अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट से कम की टंकण गति वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

## कम्प्यूटर संचालन प्रणाली का ज्ञान :-

ब्यौरे
किसी एक संचालन प्रणाली में संतोषजनक ज्ञान
किसी एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का संतोषजनक ज्ञान
किसी एक डाटा बेस प्रबन्धन प्रणाली का सन्तोषजनक ज्ञान

(ग) सूची 'ख' के लिये सिपाहियों के चयन हेतु कोई भी साक्षात्कार परीक्षा नहीं होगी।

## (3) पात्रता:-

- (क) **62 प्रतिशत चयन प्रवर्ग** :- सभी सिपाही उनकी शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखे बिना एफ०सी०ई०टी० में बैठने के लिये पात्र होंगे, यदि वे 35 वर्ष की आयु से कम के हैं तथा वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, की जनवरी के प्रथम दिन को पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो।
- (ख) **35 प्रतिशत चयन प्रवर्ग** :- सभी सिपाही उनकी शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखे बिना ज्येष्ठता एवम् उपयुक्तता आधार अर्थात् 35 प्रतिशत प्रवर्ग में सूची 'ख' में रखे जाने के लिये पात्र होंगे, यदि वे 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं तथा वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, की जनवरी के प्रथम दिन को पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। तथापि, इस प्रवर्ग में बैठने वाले उम्मीदवारों को इस प्रवर्ग में चयन के लिये विचारण हेतु पात्रता के लिये कम से कम 18 अंकों का बेन्चमार्क प्राप्त करना होगा।
- (ग) **3 प्रतिशत चयन प्रवर्ग**:- सभी सिपाही उनकी शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखे बिना 3 प्रतिशत प्रवर्ग में अर्थात् सेवा में संगत उत्कृष्ट कार्य निष्पादन /अखिल भारतीय पुलिस खेल तथा ड्यूटी मीट/राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण या रजत पदक प्राप्त करने अथवा कार्यालय ड्यूटी के निष्पादन के दौरान अपवादात्मक बहादुरी दिखाने पर सूची 'ख' में रखे जाने के लिये पात्र होंगे, यदि वे 40 वर्ष की आयु से कम हैं तथा वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अर्हक सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लिये हैं:-

## परन्तु-

- (i) आरक्षित प्रवर्ग से सम्बन्धित सिपाही जो सरकारी हिदायतों के अनुसार प्रवर्ग के लिये अधिकतम विहित आयु सीमा के निकट भर्ती किये गये हैं उन्हें सेवा के पांच वर्ष पूरे करने के बाद कम से कम तीन लगातार अवसर एफ०सी०ई०टी० में बैठने की अनुमति, चाहे उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक, दी जायेगी।
- (ii) सिपाही के रूप में भर्ती भूतपूर्व सैनिक को पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद आयु को ध्यान में लाये बिना तीन लगातार अवसर एफ०सी०ई०टी० में बैठने के लिये अनुज्ञात किये जायेंगे।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार को 62 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत चयन प्रवर्ग में एक साथ पात्र नहीं समझा जायेगा। भूतपूर्व सैनिक या आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार जो 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें या तो एफ०सी०ई०टी० में भाग लेने के लिये अपने प्रथम अवसर में निकलना होगा या 35 प्रतिशत चयन प्रवर्ग के विरुद्ध विचारे जाने के लिये पात्र बनने से पूर्व लिखित में उसे छोड़ना होगा।
- (iv) चूंकि, 3 प्रतिशत प्रवर्ग में पात्र उम्मीदवार को 62 प्रतिशत या 35 प्रतिशत चयन प्रवर्ग में एक साथ भी विचारा जा सकता है। तथापि, जहां ऐसे उम्मीदवार का नाम एक चयन प्रवर्ग से अधिक में प्रकट होता है, तो उम्मीदवार को उस प्रवर्ग जिसमें उसने अन्तिम चयन के अधिक से अधिक अवसर हों, में विभागीय चयन समिति द्वारा विचारा जायेगा। तथापि, चयन प्रवर्ग के किसी एक में उसका नाम रखने/लाने के बारे में विभागीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

## (4) विभागीय चयन समिति (डी० एस० सी०):

- (क) पुलिस महानिदेशक 62 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत प्रत्येक एक चयन वर्ग के लिये प्रथम पाठ्यक्रम में सिपाहियों के चयन के लिये पृथक-पृथक विभागीय चयन समिति गठित करेगा। प्रत्येक विभागीय चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो तथा सदस्यों के रूप में दो अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे के न हो, से मिलकर बनेगी। पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से इस प्रकार गठित विभागीय चयन समिति चयन प्रक्रिया को निर्वाह रूप से चलाने के लिये यथा अपेक्षित बहुत से अधिकारियों/अमले को सहयोजित कर सकती है।
- (ख) सेवा रिकार्ड का निर्धारण शिक्षा तथा सेवा के दौरान प्रशंसा प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा। इनके लिये दिये जाने वाले अंक निम्न अनुसार होंगे:-

(i) शैक्षणिक योग्यता		
क्रम संख्या	श्रेणी	अंक
1	बी० टेक / बी० एस० सी०	06
2	ग्रेजुएट, बी० टेक / बी० एस० सी० के अलावा	03
3	एम० टेक / एम० एस० सी०	08
4	पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा एम० एस० सी० के अलावा / एम० एस० सी० सर्टीम्	04

(ii) प्रशंसा-पत्र (सी०सी०)		
क्रम संख्या		अंक
1	श्रेणी –प्रथम	03
2	श्रेणी-द्वितीय	02
3	श्रेणी-तृतीय	01

प्रशंसा प्रमाण पत्रों के लिये दिये जाने वाले कुल अंक 10 से अधिक नहीं होंगे। केवल पूर्व वर्ष की प्रथम जनवरी तक दिये गये प्रशंसा प्रमाण-पत्र को ही अंकों की गणना के लिये विचार में लिया जायेगा।

## (ग) नकारात्मक अंकन (मार्किंग) :

प्रतियोगिता परीक्षा तथा ज्येष्ठता के दोनों प्रवर्गों के लिये अंकों की गणना करते समय प्रत्येक बड़े/लघु दण्ड के लिये अंक निम्नलिखित दर से काटे जायेंगे:-

दण्ड	अंक
प्रत्येक बड़े दण्ड के लिये	05
प्रत्येक लघु दण्ड के लिये	02

अंकों की कटौती के लिये (विचारा गया) बड़ा/लघु दण्ड केवल वही होगा जो वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, से पूर्व वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को या से पूर्व दिया गया है।

## (5) ज्येष्ठता एवम् उपयुक्तता के आधार पर अर्थात् 35 प्रतिशत प्रवर्ग में

## चयन :

ज्येष्ठता एवम् उपयुक्तता के आधार पर 35 प्रतिशत उम्मीदवारों के चयन के लिये विभागीय चयन समिति सेवा रिकार्ड के लिये इस प्रवर्ग में अंक उपरोक्त क्रम संख्या (4) में यथा वर्णित आधार पर देगी। आगे इस प्रवर्ग के लिये, अंक अधिकतम 24 अंकों के अध्यक्षीन अर्हक सेवा के पांच वर्ष के बाद सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण कलैण्डर वर्ष के लिये 2 अंकों की दर से वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, की प्रथम जनवरी को सेवा काल के लिये भी दिये जायेंगे।

परन्तु छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही जो पुलिस महानिदेशक के स्थाई आदेश क्रमांक 127/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के दृष्टिगत पदोन्नत किये गये हैं अपने पारिणामिक प्रतिवर्तन के दृष्टिगत ज्येष्ठता एवम् उपयुक्तता के अनुसार सूची 'ख' में अपने नामों के प्रवेश के लिये इच्छुक हैं, तो वे लिखित में अपनी सहमति देते हुये उनके अपने हित में ऐसा कर सकते हैं तथा सूची 'ख' में शामिल किये जाने पर सिपाही के पद पर प्रतिवर्तित हो जायेंगे।

## (6) 3 प्रतिशत प्रवर्ग में चयन:-

(क) प्रत्येक निम्नलिखित प्रवर्गों के लिये एक प्रतिशत की दर से 3 प्रतिशत प्रवर्ग में प्रथम पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये सिपाहियों का चयन पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें चयन किया जाता है, के 31 दिसम्बर तक राज्य पुलिस मुख्यालय में उनके सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रेषित सिफारिशों में से विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

1	सेवा में संगत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर	एक प्रतिशत
2	अखिल भारतीय पुलिस खेलों तथा ड्यूटी मीट/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण/रजत पदक प्राप्त करने पर	एक प्रतिशत
3	ड्यूटी के दौरान असाधारण बहादूरी	एक प्रतिशत

(ख) जब कभी, इस प्रवर्ग में सिफारिश के लिये कोई भी मामला उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से राज्य पुलिस मुख्यालय में इस प्रभाव का "कोई सिफारिश न करने का प्रमाण-पत्र" भेजेगा :

परन्तु सिपाही जो खिलाड़ी प्रवर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध सेवा भर्ती हुये हैं, से सम्बन्धित 3 प्रतिशत प्रवर्ग में चयन के लिये विचाराधीन खेल उपलब्धियां केवल सेवा में उनके कार्यग्रहण करने के बाद की अवधि से सम्बन्धित होनी चाहिये।

(7) **मेरिट का क्रम:**

- (क) सूची 'ख' में प्रवेश के लिये उपरोक्त वर्णित तीन विभिन्न प्रवर्गों के लिये सिपाहियों की परस्पर मेरिट अवधारित करने के प्रयोजन के लिये, जब कभी, दो या दो से अधिक सिपाहियों के अंक (स्कोर) उपलब्धि बराबर पाई जाती है, तो सिपाही जो सेवा में ज्येष्ठ है, को पहले चयनित किया जायेगा; आगे, यदि, दो या दो से अधिक सिपाही जिसके बराबर अंक (स्कोर) तथा बराबर ज्येष्ठता है, तो सिपाही जो मूल भर्ती पाठ्यक्रम की परस्पर मेरिट में उच्चतर है, को सूची 'ख' में लाया जायेगा, अन्त में, यदि फिर भी सिपाहियों के बीच बराबरी रहती है, तो सिपाही, जो आयु में बड़ा है उसे पहले चयनित किया जायेगा ।
- (ख) पदोन्नति में आरक्षण की सरकारी पॉलिसी, यदि कोई हो, 62 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत प्रवर्ग में सूची 'ख' में सिपाहियों के चयन में उसका पालन किया जायेगा ।
- तथापि, सेवा से संगत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर अखिल भारतीय पुलिस खेलों/ड्यूटी मीट/राष्ट्रीय खेलों तथा अपवादिक बहादुरी के लिये सिपाहियों के चयन हेतु 3 प्रतिशत प्रवर्ग में कोई भी आरक्षण पॉलिसी लागू नहीं होगी ।
- (ग) यहां कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं होगी ।
- (8) विभागीय चयन समिति की सिफारिशें अन्तिम नहीं होगी जब तक वे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं। पुलिस महानिरीक्षक सूची के सहीपन के बारे में केवल उसकी उचित सर्वीक्षा के बाद ही अपना अनुमोदन प्रदान करेगा। पुलिस महानिरीक्षक सूची में गलती/त्रुटि, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिये या तो सम्बन्धित विभागीय चयन समिति से कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है या सूची को वापिस भेजने के लिये विचार कर सकता है ।

## परिशिष्ट 'छ'

(देखिए नियम 13)

दूरसंचार संवर्ग के लिए प्रथम पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा इस नियम में विहित पाठ्यक्रम के मानक के अनुसार होगी। नीचे वर्णित ऑनलाईन परीक्षा प्रत्येक एक अंक के बहुविध पसन्द प्रश्न (एम०सी०क्यू०) का प्रश्न पत्र होगा। ऑनलाईन परीक्षा के लिए प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.15 अंक की नकारात्मक मार्किंग होगी।

क्रम संख्या	विषय	अधिकतम अंक	अर्हक अंक	परीक्षा का अवधि
1	2	3	4	5
1.	रेडियो थ्युरी (ऑनलाईन)	100	40	120 मिनट
2.	रेडियो प्रैक्टिकल (ऑनलाईन)	40	25	45 मिनट
3.	रेडियो प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा* <sup>1</sup>	10		...
4.	रेडियो प्रक्रिया (ऑनलाईन)	100	50	120 मिनट
5.	कम्प्यूटर थ्युरी (ऑनलाईन)	100	40	120 मिनट
6.	कम्प्यूटर टाईपिंग	100	50	1500 शब्द 10 मिनटों में
7.	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल तथा निपुणता	40	25	...
8.	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा* <sup>2</sup>	10		...

\*<sup>1</sup> परन्तु क्रम संख्या 3 अर्थात् रेडियो प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा निम्न अनुसार होगा:—

रेडियो प्रैक्टिकल नोट बुक की तैयारी 05 अंक

रेडियो प्रैक्टिकल का ज्ञान: 05 अंक

\*<sup>2</sup> परन्तु यह ओर की क्रम संख्या 8 अर्थात् कम्प्यूटर प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा निम्न अनुसार होगा:—

कम्प्यूटर प्रैक्टिकल नोट बुक की तैयारी 05 अंक

कम्प्यूटर प्रैक्टिकल का ज्ञान 05 अंक

राम निवास,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

## HOME DEPARTMENT

**Notification**

The 2nd February, 2017

**No. S.O. 15/H.A.25/2008/S.92/2017.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Police Telecommunication Cadre (Group C) Service, namely:-

**PART-I GENERAL**

1. These rules may be called Haryana Police Telecommunication (Group C) Service Rules, 2017. Short title.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --- Definitions.

- (a) ‘Act’ means the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008);
- (b) ‘‘Commission’’ means the Haryana Staff Selection Commission;
- (c) ‘‘Director General of Police’’ means Director General of Police, Haryana;
- (d) ‘‘direct recruitment’’ means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by the transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (e) ‘‘First Course’’ means promotion courses i.e. ‘Police Wireless Operator-IIIrd Grade’ for Operation Cadre; ‘Police Wireless Technician-IIIrd Grade’ for Technical Cadre and ‘Police Wireless Operator cum Technician -IIIrd Grade’ for Telecommunication Cadre;
- (f) ‘‘Government’’ means the Government of State of Haryana in the administrative department;
- (g) ‘‘Institution’’ means,-
  - (i) any Institution established by law in force in the State of Haryana; or
  - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (h) ‘‘Inspector General of Police’’ means Inspector General of Police, Telecommunication, Haryana.
- (i) ‘‘recognized university’’ means,-
  - (i) any university incorporated by law in India; or
  - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of rules;
- (j) ‘‘Second Course’’ means promotion courses i.e. ‘Police Wireless Operator -IInd Grade’ for Operation Cadre; ‘Police Wireless Technician -IInd Grade’ for Technical Cadre; and ‘Police Wireless Operator cum Technician -IInd Grade’ for Telecommunication Cadre;
- (k) ‘‘Service’’ means the Haryana Police Telecommunication Cadre (Group C) Services;
- (l) ‘‘Superintendent of Police’’ means Superintendent of Police, Telecommunication Haryana;

- (m) "Third Course" means promotion courses "Police Wireless Operator - 1st Grade" for Operation Cadre; "Police Wireless Technician -1st Grade" for Technical Cadre; and "Police Wireless Operator cum Technician -1st Grade" for Telecommunication Cadre.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the act.

## PART-II - RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The service shall comprise of the posts shown in Appendix 'A' (Part 1 and 2) to these rules:

*Provided that* nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan:

*Provided that* a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with the said university, college, school or institution.

Appointing Authority.

5. Appointment to the posts in the Service shall be made by the authorities as specified in Column 3 of Appendix C

Age limit and physical standards.

6. Age limit and physical standard shall be as per provisions provided in the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Disqualifications

8. No person,-

- (a) who has been entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

*Provided that* the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

- | 9. | (1)  | Recruitment to the service to the post mentioned in Appendix A, (Part 1),—  | Method of Recruitment. |
|----|------|---|------------------------|
|    | (a)  | in case of Inspector (Operation),-<br>100 % by promotion from amongst Sub-Inspector (Operations);                             |                        |
|    | (b)  | in case of Inspector (Technical),-<br>100 % by promotion from amongst Sub-Inspector (Technical);                              |                        |
|    | (c)  | in case of Inspector (Driver),-<br>100 % by promotion from amongst Sub-Inspector (Driver);                                    |                        |
|    | (d)  | in case of Sub-Inspector (Operations),-<br>100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Operation);               |                        |
|    | (e)  | in case of Sub-Inspector (Technical),-<br>100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Technical);                |                        |
|    | (f)  | in case of Sub-Inspector (Driver),-<br>100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Driver);                      |                        |
|    | (g)  | in case of Sub-Inspector (Battery Charger),-<br>100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspectors (Battery Charger);   |                        |
|    | (h)  | in case of Sub-Inspector (Messenger),-<br>100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspectors (Messenger);               |                        |
|    | (i)  | in case of Assistant Sub-Inspectors (Operation),-<br>100 % by promotion from amongst Head Constables (Operations);            |                        |
|    | (j)  | in case of Assistant Sub-Inspectors (Driver),-<br>100 % by promotion from amongst Head Constables (Driver);                   |                        |
|    | (k)  | in case of Assistant Sub-Inspectors (Battery Charger),-<br>100 % by promotion from amongst Head Constables (Battery Charger); |                        |
|    | (l)  | in case of Assistant Sub-Inspectors (Messenger),-<br>100 % by promotion from amongst Head Constables (Messenger);             |                        |
|    | (m)  | in case of Head Constable (Operation) ,-<br>100% by promotion from amongst Constable (Operation);                             |                        |
|    | (n)  | in case of Head Constable (Driver) ,-<br>100% by promotion from amongst Constable (Driver);and                                |                        |
|    | (o)  | in case of Head Constable (Messenger) ,-<br>100% by promotion from amongst Constable (Messenger).                             |                        |
|    | (2)  | Recruitment to the service to the posts mentioned at Appendix-A (Part 2) shall be made,—                                      |                        |
|    | (a)  | in case of Inspector (Telecommunication),-  |                        |
|    | (i)  | 100 % by promotion from amongst Sub-Inspectors (Telecommunication); or  |                        |
|    | (ii) | by transfer or deputation of officers already in the service of any State Government or the Government of India;              |                        |
|    | (b)  | in case of Sub-Inspector (Telecommunication),-  |                        |
|    | (i)  | 100 % by promotion from amongst Assistant Sub-Inspectors (Telecommunication); or  |                        |
|    | (ii) | by transfer or deputation of officers already in the service of any State Government or the Government of India;              |                        |
|    | (c)  | in case of Assistant Sub-Inspectors (Telecommunication),-   |                        |
|    | (i)  | 100 % by promotion from amongst Head Constables (Telecommunications); or  |                        |
|    | (ii) | by transfer or deputation of officers already in the service of any State Government or the Government of India;              |                        |



- (d) in case of Head Constable (Telecommunication),-
  - (i) 100% by promotion from amongst Constable (Telecommunication); or
  - (ii) by transfer or deputation of officers already in the service of any State Government or the Government of India; and
- (e) in case of Constable (Telecommunications),-
  - (i) 100% by direct recruitment.

(3) All promotions unless otherwise provided, shall be made on Seniority-cum-merit.

Recruitment process.

**10.** In case of direct recruitment of Constables in Telecommunication Cadre, the eligibility criteria and procedure shall be such as prescribed in Appendix 'E'.

Departmental promotion committee. Selection process.

**11.** The Inspector General of Police, shall constitute a committee headed by Superintendent of Police, two Deputy Superintendents of Police, for examination of the promotion criteria.

**12.** Selection of Constables in Telecommunication Cadre for List B shall be done in the month of January every year. Procedure, Eligibility Criteria for selection in List B shall be such as prescribed in Appendix 'F'.

Departmental training and courses.

**13.** (1) Every member of the service shall be required to undergo the departmental training and Promotion Courses as per criteria laid down in Appendix 'B' and if he fails to pass the departmental training, he shall not be eligible for promotion till such time he passes the prescribed departmental training and course. The contents of promotional courses such as First Course, Second Course and Third Course, as applicable to Operation Cadre, Technical Cadre and Telecommunication Cadre, shall be prescribed by Directorate of Co-ordination Police Wireless (DCPW), Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi and shall be subject to changes from time to time:

Provided that the final examination of First Course for Telecommunication Cadre shall be online as prescribed in Appendix 'G'.

(2) All directly appointed enrolled police officials shall be deputed for basic physical training for six months in the Haryana Police Academy. On the successful completion of basic physical training, they shall undergo three months training in professional skills in the Telecommunication Training Centre. The schedule and contents of the basic physical and professional skill training shall be prescribed by the Director, Haryana Police Academy and the Inspector General of Police respectively, with the approval of the Director General of Police. After successful completion of the training, members of the service shall undergo practical on-the-job training for twelve months.

Probation.

**14.** (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that ,-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If in the opinion of the appointing authority, the work, conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may;

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
  - (i) revert him to his former post; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

- (a) if the work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
  - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
  - (ii) confirm such person from the date, from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
  - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.
- (b) if the work or conduct has, in its opinion, not been satisfactory,-
  - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise; or
  - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of the probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

**15.** (1) Seniority, inter-se of members of the service shall be determined by the length of the continuous service on any post in the service,- Seniority.

Provided that in the case of members appointed by the direct recruitment, the order of it be determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) A member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) In the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in the previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

(2) All candidates put on List B shall undergo the First Course in Telecommunication Training Centre. Their seniority for further promotion shall be determined on the basis of the merit list of final examination of First Course. A Constable scoring highest shall be senior most and scoring lowest marks shall be most junior.

**16.** (1) A member of the service shall be liable to serve to any place, whether within or outside of the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of service may also be deputed to serve under.-

- (i) a company, association or body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local authority or University within the State of Haryana; or
- (ii) the Central Government or a Company, Association or a Body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government: or

- (iii) another State Government, an international Organization, an Autonomous Body not controlled by the Government or a private body:

*Provided that* no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organization or Body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave,  
Pension and other  
matter

**17.** In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may here after be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any Law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,  
penalties  
and appeal.

**18.** In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana.

*Provided that* the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C and D to these rules.

Vaccination.

**19.** Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinate if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

**20.** Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the constitution of India as by law established.

Power of  
relaxations.

**21.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relaxation to so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

Special  
provisions.

**22.** Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority impose any special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

**23.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time:

*Provided that* the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Miscellaneous.

**24.** Each cadre, as specified in Appendix-A- Part (1 and 2), shall maintain separate entity with separate seniority and promotions:

*Provided that* no appointment, except by promotion, shall be made to any post in any cadre, other than Telecommunication Cadre, after these rules come into force:

*Provided further that* as and when any post in any cadre, other than Telecommunication Cadre, falls vacant on account of normal attrition and no suitable member in that cadre is available to fill it at that point in time or at any other time in the future, the said post will merge in the Telecommunication cadre:

*Provided further that* after all the posts of a cadre have merged in Telecommunication Cadre, in this manner, Telecommunication Cadre will become the single unified cadre for Police Telecommunication in Haryana. All designations shall change accordingly: i.e. the word "(Telecommunication)":

*Provided further that* all Constables, Head-Constables, Assistant Sub-Inspectors & Sub-Inspectors of all cadres, as prescribed in Appendix-A (Part-I), in this rule, will be given single time single opportunity to opt to merge in Telecommunication Cadre, within their own ranks, just after these rules come in to the force:

Provided further that,-

- (i) If any member of any cadre is getting advantage of technical pay scale in his parent cadre, technical pay scale shall be withdrawn from the date he is merged in the Telecommunication Cadre. However, the last pay drawn in parent cadre shall be protected;
- (ii) Once merged in Telecommunication Cadre, shall not claim seniority or pay benefits of their parent or any other cadre except Telecommunication Cadre and also shall not go back to parent cadre;
- (iii) In the case of Constable who has opted for Telecommunication Cadre, seniority shall be fixed as per provision specified in rule 15 and such constables shall be sent to 1st promotion course on the basis of this seniority and B-1 Test shall not be conducted for fixation of their seniority but their promotion to the higher ranks shall be subject to condition that they qualify all conditions as specified in Appendix – B, Part-2, column 4 for promotion, in this rule. The service experience of their parent cadre shall be considered for the purpose of their promotion;
- (iv) In case of Head Constable, Assistant Sub-Inspector and Sub-Inspector merged in Telecommunication Cadre, from different cadres, their seniority, within their own ranks, shall be determined as per provision as specified in rule 15;
- (v) All those officials who merged as Head Constable, Assistant Sub-Inspector and Sub Inspector in the Telecommunication Cadre shall be given an opportunity to pass the first course, second course or third course, as the case may be, in three attempts whenever given to claim seniority in their respective rank in the Telecommunication Cadre. No one shall be entitled to claim any kind of arrear. The Head Constables, Assistant Sub Inspectors and Sub Inspectors who fail in first course, Second course or third course, as the case may be, in three attempts, whenever given from the date of publication of these rules, shall not be eligible for further promotion. If any senior official fails in any departmental promotion course and in the meanwhile a junior official passes the departmental promotion course and is promoted, the senior official who could not pass the said course before his junior is promoted, thus promoted junior official shall be senior to that senior official who fails in the said course;
- (vi) All those officials who merged as Head Constable, Assistant Sub-Inspector and Sub Inspector in the Telecommunication Cadre and have already passed First Course or Second Course or Third Course, as the case may be, shall be treated as if they have passed the PWOT course, as the case may be;
- (vii) Merging process in Telecommunication Cadre will be completed within six months from the date of publication of these rules,-
  - (a) Option of the officials of all cadres shall be called within one month after the publication of these rules;
  - (b) Option of the willing officials should reach in the office of Superintendent of Police within the one month of the issue of the letter referred in (a) above;
  - (c) All further codal formalities for the finalization of merging process shall be completed within the next four months; and
  - (d) If the number of willing officials is more than the existing vacant posts in the Telecommunication Cadre, a written test shall be conducted for the respective ranks. The standard of the said examination shall be similar to the standard of the Police Wireless promotional courses for the respective ranks;
- (viii) 38 posts of Constable- Driver deemed upgraded as the posts of Inspector=01, Sub-Inspector=05, Assistant Sub-Inspector=11 and Head Constable=21. As and when any post in Driver Cadre falls vacant on account of normal attrition and no suitable member in Driver Cadre is available to fill it at that point in time or at any other time in future, the said upgraded post of Driver Cadre will degrade in the post of Constable and merge in Telecommunication Cadre;

- (ix) 03 posts of Head-Constable Battery Chargers deemed upgraded as the posts of Sub-Inspector=01, Assistant Sub-Inspector=02. As and when any post in Battery Charger Cadre falls vacant on account of normal attrition and no suitable member in Battery Charger Cadre is available to fill it at that point in time or at any other time in future, the said upgraded post of Battery Charger Cadre will degrade in the post of Head Constable and merge in Telecommunication Cadre; and
- (x) 06 posts of Constable Messengers deemed upgraded as the posts of Sub-Inspector=01, Assistant Sub-Inspector=02 and Head Constable=03. As and when any post in Messenger Cadre falls vacant on account of normal attrition and no suitable member in Messenger Cadre is available to fill it at that point in time or at any other time in future, the said upgraded post of Messenger Cadre will degrade in the post of Constable and merge in Telecommunication Cadre.

**APPENDIX - A (Part-1)***[see rule-3]*

Sr. No.	Designation of Post	Permanent	Total	Scale of Pay plus Special Pay Rupees (amount in Indian currency)
1.	2	3	4	5
1.	Inspector (Operational)	22	42	44900 - 142400 + 160
2.	Inspector (Technical)	19		44900 - 142400 + 160
3.	Inspector (Driver)	01		44900 - 142400 + 40
4.	Sub Inspector (Operational)	97	126	35400 - 112400 + 140
5.	Sub Inspector (Technical)	22		35400 - 112400 + 140
6.	Sub Inspector (Driver)	05		35400 - 112400 + 40
7.	Sub Inspector (Battery Charger)	01		35400 - 112400 + 60
8.	Sub Inspector (Messenger)	01		35400 - 112400 + NIL
9.	Asst. Sub Inspector (Operational)	234	259	29200 - 92300 + 120
10.	Asst. Sub Inspector (Technical)	09		29200 - 92300 + 120
11.	Asst. Sub Inspector (Driver)	12		29200 - 92300 + 40
12.	Asst. Sub Inspector (Battery Charger)	02		29200 - 92300 + 60
13.	Asst. Sub Inspector (Messenger)	02		29200 - 92300 + NIL
14.	Head Constable (Operational)	525	559	25500 - 81100 + 80
15.	Head Constable (Driver)	27		25500 - 81100 + 40
16.	Head Constable (Battery Charger)	04		25500 - 81100 + 60
17.	Head Constable (Messenger)	03		25500 - 81100 + NIL
18.	Constable (Operational)	129	174	25500 - 81100 + 60
19.	Constable (Driver)	40		21700 - 69100 + 40
20.	Constable (Messenger)	05		21700 - 69100 + NIL
	Total	1160	1160	

**APPENDIX - A (Part-2)***[see rule-3]*

Sr. No.	Designation of Post	Permanent	Total	Scale of Pay plus Special Pay Rupees (amount in Indian currency)
1	2	3	4	5
1.	Inspector (Telecommunication)	00	00	44900-142400 + 160
2.	Sub-Inspector (Telecommunication)	01	01	35400-112400 + 140
3.	Asst. Sub Inspector (Telecommunication)	26	26	29200-92300 + 120
4.	Head Constable (Telecommunication)	20	20	25500- 81100 + 80
5.	Constable (Telecommunication)	675	675	21700-69100 + 60
	Total	722	722	

**APPENDIX - B (Part-1)***[see rule-7]*

Sr. No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience for direct recruitment.	Academic qualifications and experience. If any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Inspector (Operation)		(i) At least eight years combined experience as Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspector, out of which at least five years experience shall have been as Sub-Inspector (Operation); (ii) Should have passed Third Course; and (ii) Last ten years service record should be good.
2	Inspector (Technical)		(i) At least eight years combined experience as Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspector, out of which at least five years experience shall have been as Sub-Inspector (Technical); (ii) Should have passed Third Course; and (ii) Last ten years service record should be good.
3	Inspector (Driver)		(i) At least eight years combined experience as Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspector, out of which at least five years experience shall have been as Sub-Inspector (Driver); and (ii) Last ten years service record should be good.
4	Sub-Inspector (Operation)		(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors (Operation); (ii) Should have passed Third Course; and (iii) Last ten years service record should be good.
5	Sub-Inspector (Technical)		(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors (Technical); (ii) Should have passed Third Course; and (iii) Last ten years service record should be good.
6	Sub-Inspector (Driver)		(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors (Driver); and (ii) Last ten years service record should be good.
7	Sub-Inspector (Battery Charger)		(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors (Battery Charger); and (ii) Last ten years service record should be good.
8	Sub-Inspector (Messenger)		(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors (Messenger); and (ii) Last ten years service record should be good.
9	Assistant Sub Inspector (Operation)		(i) By promotion from amongst Head Constables (Operation); (ii) Should have passed Second Course; and (iii) Last ten years service record should be good.



10	Assistant Sub Inspector (Driver)		(i) by promotion from amongst Head Constables (Driver); and (ii) Last ten years service record should be good.
11	Assistant Sub Inspector (Battery Charger)		(i) by promotion from amongst Head Constables (Battery Charger); and (ii) Last ten years service record should be good.
12	Assistant Sub Inspector (Messenger)		(i) by promotion from amongst Head Constables (Messenger); and (ii) Last ten years service record should be good.
13	Head Constables (Operation)		(i) Five years of approved service as Constable (Operation); (ii) Should have passed 'First Course'; and (iii) Service Record should be good.
14	Head Constables (Driver)		(i) Five years of approved service as Constable (Driver) ; and (ii) Service record should be good.
15	Head Constables (Messenger)		(i) Five years of approved service as Constable (Messenger) ;and (ii) Service record should be good.

**APPENDIX - B (Part-2)***[see rule-7]*

Sr. No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience for direct recruitment	Academic qualifications and experience. If any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Inspector (Telecommunication)		<p>By Promotion;-</p> <p>(i) At least eight years combined experience as Sub-Inspector (Telecommunication) and Assistant Sub-Inspector (Telecommunication), out of which at least five years experience shall have been as Sub-Inspector (Telecommunication);</p> <p>(ii) Should have passed 'Third Course' ;and</p> <p>(ii) Last ten years service record should be good.</p> <p>By Deputation or Transfer;-</p> <p>i) Must have passed three years Diploma in Electronics/Electronics and Communication Engineering /IT/Instrumentation Engineering with 60% marks from Polytechnic Institute recognized By State/ Central Technical Board of Education;</p> <p>(ii) At least five years experience as Inspector in a major Public Sector Telecommunication Organization;</p> <p>(iii) Should have passed 'Third Course';</p> <p>(iv) Service record should be good; and</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit upto matric or higher education.</p>
2	Sub-Inspector (Telecommunication)		<p>By Promotion;</p> <p>(i) One year approved service in the rank of Assistant Sub-Inspectors(Telecommunication);</p> <p>(ii) Should have passed 'Third Course'; and</p> <p>(iii) Last ten years service record should be good</p> <p>By Deputation or Transfer;-</p> <p>(i) Must have passed three years Diploma in Electronics/Electronics and Communication Engineering/IT/Instrumentation Engineering with 60% marks from Polytechnic Institute recognized By State/ Central Technical Board of Education;</p> <p>(ii) At least five years experience as Sub-Inspector in a major Public Sector Telecommunication Organization;</p> <p>(iii) Should have passed 'Third Course';</p> <p>(iv) Service record should be good; and</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit upto matric or higher education.</p>
3	Assistant Sub Inspector (Telecommunication)		<p>By Promotion;-</p> <p>(i) by promotion from amongst Head Constables (Telecommunication);</p> <p>(ii) Should have passed 'Second Course'; and</p> <p>(iii) Service record should be good.</p>

			<p>By Deputation or Transfer;-</p> <p>(i) Must have passed three years Diploma in Electronics/Electronics and Communication Engineering /IT/Instrumentation Engineering with 60% marks from Polytechnic Institute recognized By State/ Central Technical Board of Education;</p> <p>(ii) At least five years experience as Assistant Sub-Inspector in a major Public Sector Telecommunication Organization;</p> <p>(iii) Should have passed 'Second Course';</p> <p>(iv) Service record should be good; and</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit upto matric or higher education.</p>
4	Head Constables (Telecommunication)		<p>By Promotion</p> <p>(i) Five years of approved service as Constable (Telecommunication);</p> <p>(ii) On the basis of merit of Final Examination of First Course as specified in Appendix 'G'; and</p> <p>(iii) Service Record should be good.</p> <p>By Deputation or Transfer;-</p> <p>(i) Must have passed three years Diploma in Electronics/Electronics and Communication Engineering /IT/Instrumentation Engineering with 60% marks from Polytechnic Institute recognized By State/ Central Technical Board of Education;</p> <p>(ii) At least five years experience as Head Constable in a major Public Sector Telecommunication Organization;</p> <p>(iii) Should have passed 'First Course';</p> <p>(iv) Service record should be good; and</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit upto matric or higher education.</p>
5	Constables (Telecommunication)	<p>(i) 03 years Diploma in Electronics Engineering / Electronics and Communication Engineering/ Electrical Engineering/ Information Technology /Computer Engineering/ Computer Science and Engineering/ Instrumentation Engineering and Control with 60% marks from Polytechnic Institute recognized By State/Central Technical Board of Education;</p> <p>(ii) Hindi or Sanskrit upto matriculation or higher education.</p>	---

## APPENDIX – C

[see rule-18]

Sr. No.	Designation Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority Empowered To imposed Penalty	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inspectors	Inspector General of Police	Dismissal Removal From Service Compulsory Retirement Reduction Stoppage of increments with cumulative effects Stoppage of increments without cumulative Recovery from Pay of the whole or part of any Pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Government Censure Warning	Inspector General of Police	Director General of Police	Government
2.	Sub-Inspectors	Superintendent of Police	Dismissal Removal From Service Compulsory Retirement Reduction Stoppage of increments with cumulative effects	Superintendent of Police	Inspector General of Police	Director General of Police

			<p>Stoppage of increments without cumulative</p> <p>Recovery from Pay of the whole or part of any Pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Government</p> <p>Censure</p> <p>Warning</p>			
3.	Assistant Sub-Inspectors	Superintendent of Police	<p>Dismissal</p> <p>Removal From Service</p> <p>Compulsory Retirement</p> <p>Reduction</p> <p>Stoppage of increments with cumulative effects</p> <p>Stoppage of increments without cumulative</p> <p>Recovery from Pay of the whole or part of any Pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Government</p> <p>Censure</p> <p>Warning</p>	Superintendent of Police	Inspector General of Police	Director General of Police

4.	Head Constables	Superintendent of Police	Dismissal Removal From Service  Compulsory Retirement  Reduction Stoppage of increments with cumulative effects  Stoppage of increments without cumulative  Recovery from Pay of the whole or part of any Pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Government  Censure  Warning	Superintendent of Police	Inspector General of Police	Director General of Police
5.	Constables	Superintendent of Police	Dismissal Removal From Service  Compulsory Retirement  Reduction Stoppage of increments with cumulative effects  Stoppage of increments without cumulative	Superintendent of Police	Inspector General of Police	Director General of Police

			<p>Recovery from Pay of the whole or part of any Pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders, to the Government</p> <p>Censure</p> <p>Warning</p>			
			Compulsory community service or punishment drill not exceeding 15 days	Assistant / Deputy Superintendent of Police, Assistant Commissioner of Police		
			Compulsory community service or punishment drill not exceeding 06 days	Inspector		
			Compulsory community service or punishment drill not exceeding 03 days	Sub-Inspector		

## APPENDIX – D

[see rule-18]

Sr. No.	Designation Post	Nature of Penalty	Authority Empowered To imposed Penalty	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority if any
1	2	3	4	5	6
1.	Inspectors	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment of member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	Inspector General of Police	Director General of Police	Government
2.	Sub-Inspector	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment of member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	Superintendent of Police,	Inspector General of Police	Director General of Police
3.	Assistant Sub-Inspector				
4.	Head Constable				
5.	Constable				



**APPENDIX - E***[see rule-10]*

1. The minimum prescribed physical standard for candidate for recruitment as constable shall be as follows:-

Candidate	Height	Chest
Male →	172 Centimeter General Category	83 Centimeter (un-expanded) to 87 Centimeter (expanded)
	169 Centimeter For eligible Reserve Categories as per latest existing Government Reservation Policy	81 Centimeter (un- expanded) to 85 Centimeter (expanded)
Female →	160 Centimeter General category	Not Applicable
	157 Centimeter For eligible Reserve Categories as per latest existing Government Reservation Policy	

- (i) The suitable relaxation in minimum physical standards may be granted by the Director General of police for recruitment of outstanding sports persons after recording reasons in writing.
- (ii) No persons shall be eligible for direct recruitment if, he is color blind or flat foot or has knocking knees.

**2. Procedure for direct recruitment:-**

**(i) Percentage of vacancies:**

All vacancies in the rank of Constable shall be filled up by direct recruitment through Haryana Staff Selection Commission.

*Provided that* three percent vacancies out of the vacancies to be filled up by direct recruitment shall be filled up from outstanding sportspersons:-

- (a) The Haryana Staff Selection Commission may co-opt one or more technical experts such as serving or retired police officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police), psychologists, doctors, subject matter experts etc. from time to time, to assist them. These experts shall be persons of repute in their respective fields having minimum 10 years' experience.
- (b) The Haryana Staff Selection Commission shall be responsible for maintaining a computer-based Management Information System for managing the entire selection process including, inter alia, receiving the on-line applications, processing, keeping record of progress of each candidate throughout the selection process and preparing the result etc.

**(ii) Requisition:-**

Whenever there are sufficient number of vacancies for direct recruitment, the Director General of Police shall after the approval of the State Government, send the requisition to the Haryana Staff Selection Commission.

**(iii) Public Notification:**

On receipt of requisition from the Director General of Police, the Haryana Staff Selection Commission shall notify the vacancies at least fifteen days prior to the last date for submission of application in at least two prominent daily newspapers in the State, one of which shall be in Hindi and the other in English. The advertisement shall give detail of vacancies, mode of application and the eligibility conditions etc. The other details shall be posted on the official websites of Haryana Staff Selection Commission.

**(iv) Applications:**

- (a) Application with prescribed fee shall be received online. The information submitted online by the candidates shall be final. Multiple applications received from the same candidate shall be identified and the application last received within the prescribed period shall be entertained.
- (b) Roll number shall be allotted to the eligible candidates and put on the official website of the Haryana Staff Selection Commission. Once the roll numbers is allotted, the candidate shall be able to generate bar-coded Admit Cards to join the process of selection.

**(v) Physical Measurement Test (PMT):-**

- (a) To make the entire process of the physical Measurement Test tamper proof, fair and impartial, standard digital measurement devices shall be used to the extent possible, in a manner that the candidates are able to read their measurements on a digital display monitor. The result of Physical Measurement Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission. The Staff Selection Commission shall display the same on its official website expeditiously.

**(vi) Trade Test (TT):**

All candidates who qualify 'Physical Measurement Test' (PMT) shall be put to a 'Trade Test' as under:-

- (a) *Computer Typing Test (Hindi/English): (The Candidate may undergo one of the two said tests either in Hindi or English).*

Particulars	ENGLISH	HINDI
30 words per minute or more	Qualifying	--
25 words per minute or more	--	Qualifying

Candidates with typing speed of less than 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi, shall be rejected.

- (b) Knowledge of Computer Operating System:

Particulars
Satisfactory knowledge of any one Operating System
Satisfactory knowledge of any one Word Processing Package
Satisfactory knowledge of any one Data Base Management System

**(vii) Knowledge Test (KT):**

The detailed procedure of Knowledge Test shall be as follows:

- (a) All those candidates who qualify the 'Trade Test' (TT) shall be given a Knowledge Test of 60 marks comprising of objective type, multiple choice questions with a provision of negative marking.
- (b) The Knowledge Test shall be of the objective type having 100 multiple choice questions of 0.60 marks each and of ninety minutes duration. It shall be held simultaneously for all eligible candidates. The medium of examination shall be Hindi except where the knowledge of English language of the candidates is to be tested. For each incorrect answer 0.15 marks shall be deducted.
- (c) The test paper shall include questions on General studies, Aptitude, relevant field/ trade etc. The standard of questions shall be as expected of an educated persons having passed three year Polytechnic diploma examination.
- (d) The question papers shall be prepared and got printed with utmost secrecy. There shall be more than one different series of same set of question paper and no two adjacent candidates in the examination hall shall have the same series of question papers to avoid copying. The answer sheets shall be designed for Optical Mark Recognition scanning. Carbonless paper shall be used for duplicate answer sheets. The candidates shall carry the duplicate copy with them after the Knowledge Test is over. The process of distribution of sealed question papers and Optical Mark Recognition sheets to various examination centers shall be decided by the Haryana Staff Selection Commission. The process of Knowledge Test shall be video-graphed to the extent possible. The process shall be designed in such a manner so as to conceal the identity of the candidates from the evaluation staff. The candidate shall also affix his thumb impression on the Optical Mark Recognition sheet to avoid impersonation.
- (e) As soon as knowledge Test is over, the answer sheets collected from each examination centre shall be put in sealed covers. These covers shall be put in boxes and again sealed and carried over to the evaluation centre (s).
- (f) The answer key shall be made public on the official website of the Haryana Staff Selection Commission after the test expeditiously.
- (g) At the evaluation centre, the boxes containing answer sheets shall be opened only by a Committee nominated by the Haryana Staff Selection Commission. The Optical Marks Recognition answer sheets shall be scanned and the result saved in the database.

**(viii) Scrutiny of documents:-**

- (a) The category-wise score achieved in 'Knowledge Test' of the last candidate on the list of candidates numbering thrice the vacancies shall be ascertained. All candidates scoring five marks less than the said score or more marks shall be called for scrutiny of documents. All other candidates shall stand eliminated from the further process of selection.
- (b) Claim of reservation benefit or for relaxation and/ or for extra marks if any, shall be admissible to only those candidates, who submit the requisite valid original certificates for scrutiny, in supports of their claim before Trade Test and Interview cum Personality test failing which, they may be considered under general category provided they are otherwise eligible. Information in this regard will be displayed on official website of the Haryana Staff Selection Commission.

**(ix) Interview-cum-Personality Test (I-PT):-**

- (a) Candidates who qualify the Physical Measurement Test (PMT) and Trade Test (TT) shall be called for Interview-cum-Personality Test (I-PT) on the basis of their scores in Knowledge Test (KT), up to maximum two times the number to vacancies advertised in each category.

- (b) The Interview test shall be of total ten marks. Further distribution of ten marks for the Interview test shall be as follows:
- (i) Education (maximum 02 marks): Candidate with higher education i.e with Graduate degree shall get one mark; while candidate with Post Graduate degree shall get total 02 marks.
  - (ii) NCC (National Cadet Corps) Certificate (maximum 03 marks): Candidate having highest NCC certificate of A, B or C, level shall get 01, 02 and 03 marks respectively.
  - (iii) Interview cum Personality Test ( I-PT) test ( maximum 05 marks).

**(x) Result of Examination:-**

- (a) The names of successful candidate in the order of merit on the basis of aggregate marks achieved by the candidates in (KT+I-PT) shall be arranged by the Haryana Staff Selection Commission equal to the total number of vacancies advertised for each category separately.
- (b) In case two or more candidates have the same aggregate score, the order of merit shall be determined by the higher score achieved in the Knowledge Test.
- (c) Whereas two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test also, the order of merit shall be guided by the age of the candidate, i.e. the oldest being placed higher than the younger ones.
- (d) Further where two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test and their date of birth is also same, the order of merit shall in favour of the candidate having higher educational qualification.
- (e) The Haryana staff Selection Commission shall recommend the names of successful candidates equal to the total number of vacancies requisitioned in each category, separately to the Director General of Police for enrolment. The list of candidates so recommended shall also be put on the official websites of Haryana Staff Selection Commission and Haryana Police. There shall be no waiting list.
- (f) The appointing authorities shall ensure medical fitness and verification of characters and antecedents before appointment. Vacancies advertised, if any, remaining unfilled because of rejection of candidates on medical grounds or character and antecedents verification or otherwise shall be considered in next recruitment.

**(xi) Special recruitments:-**

The above procedure of recruitment shall to be appointment of the children of deceased police officials as constables under the ex- gratia scheme, if any of the Haryana Government.

**3. Verification of character and antecedents:-**

- (1) The appointing authority shall send the verification forms of candidates recommended for appointment by the Haryana Staff Selection Commission to the district police and Criminal Investigation department with a copy to the District Magistrate for the verification of character and antecedents, as per Form No. 12.18 of Punjab Police Rule (As applicable in Haryana) and Government instructions issued from time to time on the subject.
- (2) The candidate shall disclose the fact regarding registration of FIR or criminal complaint against him for any offence under any law along- with the current status of such case in application form and verification cum attestation form irrespective of the final outcome of the case. Non-disclosure of such information shall lead to disqualification of the candidature out-rightly, solely on this ground:

*Provided that* where a candidate, who as a juvenile had earlier come in conflict with law and was dealt with under the provisions of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act, 2000, shall not suffer any disqualification on account of non-disclosure of this fact either in application form or verification cum attestation form.

- (3) Where the appointing authority upon verification of character and antecedents of the candidate recommended for appointment comes to know that criminal proceedings against a candidate is in progress and the status of the case is reported to be either under investigation of challenged or cancelled or sent untraced or withdrawn or under trial or has either been convicted or acquitted or the candidate has preferred appeal against the order of the court; the appointing authority upon verification shall deal with the cases of candidates reported to have criminal cases registered against them and to the matters connected therewith as stated hereinafter;
- (a) Where, a candidate is found to have been convicted for an offence involving moral turpitude or punishable with imprisonment for three years or more, shall not be considered for appointment.
  - (b) Where charges have been framed against a candidate for offence (s) involving moral turpitude or which is punishable with imprisonment of three years or more, shall also not be considered for appointment.
  - (c) Where, the candidate had disclosed the fact regarding registration of criminal case as described under sub-rule(2) above, and where the status of any case at the time of verification of antecedents of the candidate by local police is found to be either as ' withdrawn by the State Government' or 'cancelled' or sent untraced' or acquitted' for any offence, under any law, such candidate shall be considered for appointment in Haryana Police:
  - (d) Where the 'cancellation report' or ' an untraced report' in a case against a candidate has been submitted by the investigating agency in the competent court of law, the appointment shall be offered only if approval/ acceptance of such cancellation or untraced report has been accorded by the trial Court.
  - (e) Where the candidate has been acquitted in offences related to sovereignty of the State or national integrity i.e. spying against national interest/ waging war against the State/act of terrorism/communal disturbance/smuggling of arms, ammunition or Narcotic Drugs & Psychotropic Substances or counterfeit currency etc, besides heinous crimes e.g. murder, rape, dacoity, robbery, kidnapping for ransom, acid attacks, human trafficking, protection of Child from Sexual Offences Act 2012 or Prevention of Corruption Act 1988 etc., 'on technical grounds ' i.e. where in the opinion of the Court the star/material prosecution witnesses have either been killed or have died or remained untraced or turned hostile or won over and the candidate has been killed or have died or remained untraced or turned hostile or won over and the candidate has been acquitted on account of aforementioned circumstances; such candidates shall not be considered for appointment.
- (4) If it is ever revealed that a candidate has got appointment either by concealment of facts or by furnishing false or wrong information or by submitting fake or forged document/ certificate, he shall be discharged from the service by the appointing authority from the date of appointment, summarily i.e. without holding a regular disciplinary proceedings, treating him ineligible for service and salary paid to him may also ordered to be recovered.

**APPENDIX - F***[see rule -12]***1. Selection of Constables for admission to First Course:-**

(1) List B shall be maintained in the office of Superintendent of Police as per Form 13.7 of Punjab Police Rule (as applicable in Haryana). It shall include the names of all constables selected for admission to the First Course. Selection to the list B shall be made annually in Telecommunication Cadre and shall be limited to the number of vacancies of Head Constables available for the general and different reservation categories for the year and the vacancies likely to be created within one year in the Telecommunication Cadre. The total vacancy available for admission to First Course in a year shall be filled up as under:-

- (a) 62% of the seats shall be filled up on the basis of aggregate marks of candidate's service record, marks obtained in a competitive examination called the First Course Entrance Test (FCET) and 'Trade Test' (TT).
- (b) 35% on the basis of seniority-cum-fitness.
- (c) 03% on the basis of consistent outstanding performance in job/obtaining gold or silver medal in all India police games & duty meet /national games or exceptional display of bravery during the course of performance of official duty.

Provided that if no suitable member is available in this selection category the vacancies of this category shall be merged in Category (a) above i.e. Seniority-cum-Merit category.

*Provided that* constable during the period when he is undergoing major punishment shall not be eligible for entry into promotion list B.

- (2) (a) The First Course Entrance Test (FCET) shall be an online, objective type test of 90 minutes duration comprising of 140 multiple choice questions carrying one mark each with a provision of negative marking @ 0.25 mark for marking an incorrect answer. Every candidate appearing in the online FCET on submitting his test finally shall be able to view his test score on the screen instantly and shall also be given a hard copy of his score card, after the test. The syllabus for FCET shall be the same as prescribed for the "Professional Skill Training" for Constable. Candidate shall have to score a minimum of 50% to qualify in the FCET. Only those constables who qualify shall be allowed to appear in the "Trade Test" and for eventual selection within this category.
- (b) **Trade Test;** the candidates shall be administered trade tests in Computer Typing and Computer Operating System, as per the details given below:-

- (a) *Computer Typing Test (Hindi/English): (The Candidate may undergo one of the two said tests either in Hindi or English).*

Particulars	ENGLISH	HINDI
30 words per minute or more	Qualifying	--
25 words per minute or more	--	Qualifying

Candidates with typing speed of less than 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi, shall be disqualified.

- (b) Knowledge of Computer Operating System:

Particulars
Satisfactory knowledge of any one Operating System
Satisfactory knowledge of any one Word Processing Package
Satisfactory knowledge of any one Data Base Management System

- (c) There shall be no interview test for selection of Constables for List 'B'

**(3) Eligibility:**

- (a) 62% selection category: All constables irrespective of their educational qualifications shall be eligible to appear for FCET, if they are under the age of 35 years and have completed 5 years of qualifying service on the 1<sup>st</sup> day of January of the year in which selection is made.
- (b) 35% selection category: All constables irrespective of their educational qualifications shall be eligible to be brought on list B on seniority-cum-fitness basis i.e. under 35% category if they are between 35 to 40 years of age and have completed 5 years of qualifying service on the 1<sup>st</sup> day of January of the year in which selection is made. However, candidates appearing under this category shall have to attain a minimum bench mark of 18 marks to be eligible for consideration for selection under this category.
- (c) 03% selection category: All constables irrespective of their educational qualifications shall be eligible to be brought on List B under 03% category i.e. on the basis of consistent outstanding performance in job/obtaining gold or silver medal in all India police games & duty meet/national or international games or exceptional display of bravery during the course of performance of official duty if they are under the age of 40 years and have completed 5 years of qualifying service on the 1<sup>st</sup> day of January of the year in which selection is made.

Provided that-

- (i) a constable belonging to reserve category who is recruited near the maximum prescribed age limit for the category as per Government instructions shall be allowed to appear in FCET for minimum three consecutive chances after completion of five years of service even if he has crossed the age of 35 years up to maximum of 40 years of age.
- (ii) an Ex-Serviceman enrolled as constable shall be allowed to appear in FCET for 3 (three) consecutive chances irrespective of age after completion of 5 years of qualifying service.
- (iii) no candidates shall be considered eligible under 62% as well as 35% selection category simultaneously. The Ex-serviceman or reserve category candidates who are over 35 years of age shall have to either, first exhaust their chance to complete in FCET or surrender it in writing before becoming eligible to be considered against 35% selection category.
- (iv) whereas, a candidate eligible under 03% category may also be simultaneously considered under 62% or 35% selection category. However, where the name of such candidate appears in more than one selection category, the candidate shall be considered by the Departmental Selection Committee under the category in which chances of his final selection are maximum. However, the decision of the Departmental Selection Committee regarding retaining / bringing his/her name under one of the selection category shall be final.

**(4) Departmental Selection Committees (DSCs):**

- (a) The Director General of Police shall constitute separate Departmental Selection Committees for selection of constables to First Course one each for the 62 % , 35 % and 03 % selection category. Each DSC shall consist of an officer not below the rank of Superintendent of Police as Chairperson and two officers not below the rank of Deputy Superintendents of Police as Members. The DSC so constituted with the approval of Director General of Police may co-opt as many officers/staff as required for the smooth conduct of selection process.
- (b) The assessment of service record will be done on the basis of education and commendation certificate during the service.

The marks assigned to these shall be as follows:-

<b>(i) Education</b>		
Sr. No.	Particular	Marks
1.	B.Tech / B.Sc	06
2.	Graduate other than B.Tech / B. Sc	03
3.	M.Tech / M. Sc.	08
4.	Post Graduate Degree / Diploma in other than M.Tech / M. Sc streams	04

<b>(ii) Commendation Certificates (C.C)</b>		
Sr. No.	Particular	Marks
1.	Class – I	03
2.	Class – II	02
3.	Class – III	01
Total marks to be awarded for commendation certificates shall not exceed 10. Commendation granted upto 1st January of the previous year only shall be taken into consideration for counting the marks		

**(c) Negative Marking:**

Marks at the following rate shall be reduced for every major/minor punishment while calculating marks for both categories of competitive examination and seniority:-

<b>Punishment</b>	<b>Marks</b>
For every major punishment	05
For every minor punishment	02

The major/minor punishment considered for deduction of marks shall only be those which have been awarded on or before the 1<sup>st</sup> day of January of the year preceding the year in which selection is made.

**(5) Selection on the basis of seniority-cum-fitness i.e. under 35 % category:**

For selection of 35% candidates on the basis of seniority-cum-fitness as mentioned in Sr. No. 1 above, the Departmental Selection Committee shall grant marks in this category for service records on the same basis as mentioned in Sr. No. 4 above. Further for this category, marks shall also be awarded for the length of service as on 1st January of the year in which selection is made at the rate of 2 marks for each completed calendar year of service after 5 years of qualifying service subject to a maximum of 24 marks.

Provided that Exemptee Head Constables who are promoted in view of Director General of Police, Haryana standing order No. 127/2008 dated 22<sup>nd</sup> September, 2008 are willing for admission of their names to list B according to seniority-cum-fitness in view of their consequential reversion then they can do so in their own interest by giving their consent in writing and on being admitted to list B shall be reverted to the rank of constable.

**(6) Selection under 3% category:-**

(a) Selection of constables for First Course entrance under 3% category at the rate of one percent for each of the following categories shall be made by the Departmental Selection Committee from amongst the recommendations forwarded by the Superintendents of Police through their respective Inspectors General of Police to the State Police Headquarters up to 31<sup>st</sup> December of the preceding year in which selection is made.

- (i) on the basis of consistent outstanding performance in job-(1%);
- (ii) attaining Gold or Silver Medal in All India Police Games & Duty Meet/National Games-(1%);
- (iii) exceptional display of bravery during the course of performance of official duty-(1%);

(b) Whenever, no case is found suitable for recommendation under this category, the Superintendent of Police shall forward a “no-recommendation certificate” to this effect to the State Police Headquarters through the respective Inspectors General of Police.

*Provided that* sports achievement under consideration for selection under 3% category pertaining to constables who have been enrolled into service against posts reserved for Sportspersons category relate only to the period, after their having joined the service.



**(7) Order of merit:-**

- (a) For the purpose of determining inter-se-merit of the constables for the aforementioned three different categories for admission to list B, wherever, the score/achievement of two or more constables is found to be equal, the constable who is senior in service shall be selected first; further, in case, two or more constables who have equal scores and the same seniority, then the constable who is higher on inter-se-merit of the basic recruits course shall be brought on list B first, finally, if there is still a tie between candidates, the constable who is senior in age shall be selected first.
- (b) Government policy on reservation in promotion, if any, shall be followed for selection of constables for list B under 62% as well as for 35% category. However, no reservation policy shall be applicable under 3% category meant for selection of constables on the basis of Consistent Outstanding Performance in job, All India Police Games / Duty Meet / National Games and for Exceptional Bravery.
- (c) There shall be no waiting list.

- (8)** The recommendations of the Departmental Selection Committee shall not be final until the same are approved by the Inspector General of Police. The Inspector General of Police shall accord his approval only after due scrutiny of the list about its correctness. The Inspector General of Police may either consider to seek any clarification or refer the list back to the Departmental Selection Committee concerned for correction of errors / omission in the list, if any.

**APPENDIX - G***[see rule-13]*

The final examination of the First Course for Telecommunication Cadre shall be as per standard of the syllabus prescribed in this rule. Online examination mentioned below shall have the questionnaire of Multiple Choice Questions (MCQ) of one mark each. There shall be negative marking of 0.15 marks for each incorrect question for online examination.

Sr. No.	Subject	Maximum Marks	Qualifying Marks	Duration of Examination
1	2	3	4	5
1	Radio Theory (Online)	100	40	120 minutes
2	Radio Practical (Online)	40	25	45 minutes
3	Radio Practical Knowledge viva-voce * <sup>1</sup>	10		---
4	Radio Procedure (Online)	100	50	120 minutes
5	Computer Theory (Online)	100	40	120 minutes
6	Computer Typing	100	50	1500 words in 10 minutes
7	Computer Practical & Skills	40	25	--
8	Computer Practical Knowledge viva * <sup>2</sup>	10		

\*<sup>1</sup> **Provided that Sr. No. 3 i.e. Radio Practical Knowledge viva will be held as under:**

Preparation of Radio Practical Note Book	:	05 Marks
Knowledge of Radio Practical	:	05 Marks

\*<sup>2</sup> **Provided further that Sr. No. 8 i.e. Computer Practical Knowledge viva will be held as under:**

Preparation of Computer Practical Note Book	:	05 Marks
Knowledge of Computer Practical	:	05 Marks

RAM NIWAS,  
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,  
Home Department.